

अध्याय – 2

वाणिज्यिक कर

अध्याय-2 वाणिज्यिक कर

2.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

हमारे द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित 134 इकाईयों में से 106 इकाईयों (24 संभागीय कार्यालय, 22 क्षेत्रीय कार्यालय एवं 60 वृत्त कार्यालय) के अभिलेखों की नमूना जांच, जिसमें ₹ 12,381.79 करोड़ की राशि सम्मिलित थी, में 855 प्रकरणों में ₹ 296.08 करोड़ की राशि का अवनिर्धारण, राजस्व की हानि एवं शास्ति का अनारोपण आदि प्रकट हुआ, जिन्हें आगामी तालिका 2.1 में दर्शाये अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है।

तालिका 2.1

(` करोड़ में)			
क्र. स.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	"वैट के अतर्गत कर निर्धारण की प्रणाली" पर निष्पादन लेखापरीक्षा	1	213.30
2	कर का अनारोपण/कम आरोपण	204	10.04
3	कर की गलत दर का लागू किया जाना	123	10.63
4	कर योग्य टर्नओवर का गलत निर्धारण	84	4.83
5	छूट/कटौती की अनियमित कटौती	118	6.52
6	अन्य अनियमिततायें	325	50.76
योग		855	296.08

वर्ष 2014-15 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा टैक्स के आंकलन व अन्य अनियमितताओं में बताये गए ₹ 51.67 करोड़ के 206 मामलों को विभाग द्वारा स्वीकार किया गया तथा उसमें से 17 मामलों में ₹ 11.00 लाख की वसूली की सूचना दी।

"वैट के अतर्गत कर निर्धारण की प्रणाली" की निष्पादन लेखापरीक्षा पर निष्पादन लेखा परीक्षा जिसमें ₹ 213.30 करोड़ की राशि अंतर्निहित है तथा कुछ अन्य उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रेक्षण जिनमें ₹ 62.38 करोड़ की राशि अंतर्निहित है का उल्लेख अनुवर्ती कण्डिकाओं में किया गया है।

2.2 "वैट के अतंगत कर निर्धारण की प्रणाली" पर निष्पादन लेखापरीक्षा

प्रमुख विशेषतायें

अक्टूबर 2014 और जून 2015 के मध्य "वैट के अतंगत कर निर्धारण की प्रणाली" की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। हमने पाया कि वैट अधिनियमों का ठीक ढंग से पालन नहीं हुआ जैसे कि कर योग्य राशि का कम निर्धारण करना, कर की गलत दर आरोपित करना, अनियमित/गलत छूट आदि जिनमें राशि ₹ 213.30 करोड़ की राशि अंतर्निहित थी। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रकरण नीचे दिये गये हैं।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसायी की करयोग्य राशि का कम निर्धारण किया गया जबकि प्रकरण में अंकक्षित खाते, विक्रय सूची और दूसरे ज्ञात प्रमाणों से कुल कर योग्य राशि अधिक प्रमाणित हुई। परिणामस्वरूप 30, कार्यालयों के 9,063 कर निर्धारण प्रकरणों में से 160 प्रकरणों की नमूना जाँच में पाया गया कि ₹ 499.41 करोड़ की राशि कर निर्धारण हेतु शामिल नहीं थी जिस पर ₹ 41.84 करोड़ की शास्ति सहित ₹ 82.08 करोड़ का करारोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 2.2.11)

चौबीस कार्यालयों के 5,044 प्रकरणों में से 51 कर निर्धारण प्रकरणों की नमूना जाँच में पाया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹ 143.54 करोड़ की कुल बिक्री पर कम दर से करारोपण किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 26.8 करोड़ की शास्ति सहित ₹ 38.57 करोड़ का कम/गलत दर का करारोपण हुआ।

(कंडिका 2.2.12)

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर योग्य राशि का निर्धारण करते समय कुल विक्रय राशि में से कर राशि को घटा दिया गया जबकि कर राशि, कुल विक्रय राशि में शामिल नहीं थी। परिणामस्वरूप 17 कार्यालयों के 5,469 प्रकरणों की नमूना जाँच में पाया गया कि 27 प्रकरणों में ₹ 32.22 करोड़ की राशि का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.2.13)

व्यवसायी द्वारा कर मुक्त वस्तु बताते हुये कर योग्य वस्तु को बेचा गया। कर निर्धारण अधिकारियों ने भी प्रकरणों की जाँच में इसे कर मुक्त मानते हुये करारोपण नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप सात कार्यालयों के 4,068 प्रकरणों की नमूना जाँच में से नौ प्रकरणों में ₹ 1.26 करोड़ की शास्ति सहित ₹ 1.82 करोड़ का कम करारोपण हुआ।

(कंडिका 2.2.14)

इकतीस कार्यालयों के 13,840 कर निर्धारित प्रकरणों की नमूना जाँच में से 79 प्रकरणों में अंकक्षित खातों में प्रमाणित क्रय से ज्यादा क्रय पर आगत कर छूट देना, अनुपयुक्त सामान पर आगत कर छूट और राज्य के बाहर स्टॉक के स्थानांतरण पर कम रिवर्सल या रिवर्सल नहीं किया जाने के परिणामस्वरूप ₹ 10.37 करोड़ की गलत/अधिक आगत कर छूट प्रदान की गई।

(कंडिका 2.2.15)

बिना सी/एफ फार्म अथवा त्रुटिपूर्ण सी/एफ फार्म के ₹ 267.72 करोड़ के अंतर्राज्यीय विक्रय का कर निर्धारण कर लिया गया। परिणामस्वरूप, 17 कार्यालयों के 1,629 कर निर्धारण प्रकरणों की नमूना जाँच में से 29 प्रकरणों में ₹ 1.22 करोड़ के शास्ति सहित ₹ 11.86 करोड़ का कम करारोपण किया गया।

(कंडिका 2.2.17.1)

पाँच कार्यालयों के 99 प्रकरणों की नमूना जाँच में सात प्रकरणों में पाया गया कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 6(2) के अंतर्गत पारगमन विक्रय पर ₹ 229.21 करोड़ की अनियमित छूट दी परिणामस्वरूप ₹ 9.33 लाख की पारगमन शास्ति सहित ₹ 9.87 करोड़ का कम करारोपण हुआ।

(कंडिका 2.2.17.3)

कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा सोयाबीन और कपास की बिक्री पर कर निर्धारण करते समय, एक माह से अधिक के संव्यवहार के टीडीएस प्रमाणपत्र को स्वीकार किया। परिणामस्वरूप 13 कार्यालयों के 4,226 कर निर्धारण प्रकरणों की नमूना जाँच में 40 प्रकरणों में ₹ 4.45 करोड़ के टीडीएस का अनियमित समायोजन किया गया।

(कंडिका 2.2.18)

2.2.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, कर प्रशासन में और अधिक दक्षता लाने के लिये, व्यवसायियों को व्यावसाय में स्पर्धा के समान अवसर तथा स्पष्ट कर निर्धारण प्रणाली के लिये 2006 में लागू किया गया।

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, मध्य प्रदेश में बिक्री के प्रत्येक स्तर पर करारोपण और संग्रहण निर्धारित करता है। मध्य प्रदेश वैट अधिनियम के अंतर्गत, उपभोक्ता के पास उत्पाद पहुँचने तक बिक्री के प्रत्येक स्तर पर कर को सीमित करने के लिये, बिक्री के प्रत्येक स्तर पर लगने वाले निर्गत कर (बिक्री पर देय कर) को आगत कर (क्रय पर देय कर) जिसे आगत कर छूट कहते हैं, से समंजन (सेट-ऑफ) किया जाता है।

पंजीकृत व्यवसायी द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान राज्य के भीतर कर योग्य वस्तु की बिक्री करने पर वैट देय है। लेखा पुस्तकों में, इस प्रकार आरोपित या संग्रहित कर अलग से दिखाया जाता है और यह व्यवसायी के कुल आवर्त का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न उत्पादों को पाँच¹ मुख्य वर्ग (श्रेणी) में रखा गया है, जिसका उद्देश्य इनके व्यवसाय पर वैट की भिन्न दरों के उपयोग है।

वस्तुओं की अंतर्राज्यीय बिक्री, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 के अंतर्गत की जाती है। वस्तुओं के अंतर्राज्यीय विक्रय में घोषणा पत्रों के समर्थन से कर मुक्त/कम दर पर कर की छूट मिलती है और घोषणा पत्रों के प्रस्तुत न करने पर, मध्य प्रदेश वैट, अधिनियम के अंतर्गत दी गई अनुसूची में कर की दर से अंतर्राज्यीय विक्रय पर कर लगाया जाता है।


2.2.2 मध्य प्रदेश वैट, अधिनियम के अंतर्गत कर निर्धारण की प्रणाली

वैट संग्रह और नियंत्रण प्रणाली स्व-कर मूल्यांकन पर आधारित है। वैट मूल्यांकन प्रणाली के समग्र उद्देश्य स्वैच्छिक अनुपालन के स्तर को बढ़ाते हुए एवं कर अपवचन को रोककर वैट राजस्व की वसूली को अधिकतम करना है। व्यवसायी अपनी देयता की गणना स्वयं करता है, इसके पश्चात् वाणिज्य कर विभाग व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत विवरणी की समीक्षा कर अंकेक्षण और कर निर्धारण, सुनिश्चित करने के लिए करता है कि कर दाताओं द्वारा वैधानिक तौर पर देय कर घोषित एवं भुगतान किया गया है।

¹ कर मुक्त वस्तुओं को परिशिष्ट 1 में, एक प्रतिशत दर वाली वस्तुओं को परिशिष्ट 2 के भाग 1 में, चार व पाँच प्रतिशत वाली वस्तुओं को परिशिष्ट 2 के भाग 2 में और 12.5/13 प्रतिशत दर वाली वस्तुओं को परिशिष्ट 2 के भाग चार में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ वस्तुएं जिन पर एक बार कर आरोपणीय है परिशिष्ट 2 के भाग 3 में दर्ज है।

वैट के अंतर्गत कर निर्धारण प्रणाली में स्व-कर निर्धारण, कर निर्धारण, कर अंकेक्षण, पुनः कर निर्धारण या कर निर्धारण में संशोधन और कर अपवंचन का पता लगाने और रोकथाम से संबंधित मामलों के मूल्यांकन के लिए विशेष प्रावधान शामिल है। कर निर्धारण प्रणाली और मूल्यांकन की प्रक्रिया को नीचे सारणी-1 में दर्शाया गया है –

सारणी-1 : कर निर्धारण की प्रणाली व प्रक्रिया




यद्यपि, जहां पर मध्य प्रदेश वैट, अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य सामान की खरीद या बिक्री कम/त्रुटिपूर्ण निर्धारित की गयी या कर निर्धारण से छूट गयी, मूल कर निर्धारण पुनः खोला जाएगा (धारा 21 के अंतर्गत) और इसके स्थान पर एक पुनः कर निर्धारण किया जायेगा। पुनः कर निर्धारण कर, निर्धारण आदेश में हुई किसी त्रुटि को सही करना है। जब भी किसी व्यवसायी का पुनः कर निर्धारण किया जाता है, कर निर्धारण अधिकारी छूटे गये आवर्त का निर्धारण नहीं करता है, बल्कि वह निरूपित कुल आवर्त का निर्धारण करता है। यदि आवश्यक हो तो वह कर निर्धारण के लिए सबसे अच्छे निर्णय का आश्रय भी ले सकते हैं।

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 (सीएसटी एक्ट) की धारा 9(2) सक्षम अधिकारी को यह प्राधिकृत करती है कि वह कर निर्धारण करने, पुनः कर निर्धारण करने, संग्रहण और व्यवसायी द्वारा देय जुर्माने एवं कर के भुगतान के लिए कर पर ब्याज के भुगतान के लिए दबाव बनाना केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम में इस उद्देश्य के लिए मध्य प्रदेश वैट अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों जिसमें कर निर्धारण से संबंधित प्रावधान भी शामिल है, का प्रयोग कर सकता है।

2.2.3 संगठनात्मक ढाँचा

शासन के स्तर पर वाणिज्यिक कर विभाग का प्रमुख, प्रधान सचिव होता है। वाणिज्यिक कर विभाग, आयुक्त वाणिज्यिक कर के नियंत्रण में कार्य करता है जिसकी सहायता हेतु एक निदेशक होता है। विभाग चार क्षेत्रों में बंटा है प्रत्येक क्षेत्र का प्रमुख अतिरिक्त क्षेत्रीय आयुक्त होता है, प्रत्येक क्षेत्र में 15 संभागीय उपायुक्त होते हैं। इन संभागों में 33 क्षेत्रीय सहायक आयुक्त कार्यालय तथा 80 वृत्त कार्यालय हैं जिनके प्रमुख वाणिज्यिक कर अधिकारी /सहायक आयुक्त है। विभाग में उत्तरदायित्व और अधिकारियों की सूची सारणी 2 में दिखायी गयी है।

सारणी 2 : संगठनात्मक संरचना दर्शाने वाला चार्ट



2.2.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

प्रणाली की दक्षता और प्रभावकारिता और कर निर्धारण से सम्बन्धित प्रक्रिया तथा राजस्व संग्रहण जानकारी के लिए, 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए वृत्त, क्षेत्रीय और संभाग कार्यालयों के अभिलेखों के परीक्षण किये गये। इसके अतिरिक्त कार्यालय आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग से सूचनाएं एकत्र की गयीं।

निष्पादन लेखापरीक्षा में 2010-11 से 2014-15 की अवधि को सम्मिलित करते हुए की गई है जिसमें विभाग के कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा 01 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015² के मध्य किये गये कर निर्धारणों (अक्टूबर 2014 से जून 2015 तक) को लिया गया है। 130 इकाइयों में से 33 इकाइयों³ (10 संभाग, 3 क्षेत्रीय और 20 वृत्त


² पूर्व लेखापरीक्षा के दौरान अप्रस्तुत रहे प्रकरण परंतु वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रस्तुत प्रकरणों की भी जांच की गई/लेखापरीक्षा में शामिल किया गया।

³ **वृत्त कार्यालय(20)** : भोपाल-1, भोपाल-3, भोपाल-5, देवास, ग्वालियर-1, ग्वालियर-2, इंदौर-7, इंदौर-9, इंदौर-10, इंदौर-11, इंदौर-12, इंदौर-13, इंदौर-14, खरगौन, मंडीदीप, रतलाम-1, सतना-1, संधवा, उज्जैन-1 और वैढन
क्षेत्रीय कार्यालय(03) : भोपाल-1, भोपाल-2 और सागर-2
संभागीय कार्यालय(10) : भोपाल एंटीएवेजन ब्यूरो, भोपाल टेक्स आडिट विंग, भोपाल-1, भोपाल-2, इंदौर टेक्स आडिट विंग-1, इंदौर-1, जबलपुर एंटीएवेजन ब्यूरो, जबलपुर-2, रतलाम और सतना

कार्यालयों) को यादृच्छिक पद्धति से चुना गया। 12,958 कर निर्धारित प्रकरणों में से 12,466 प्रकरणों की लेखापरीक्षा की गयी।

चयनित इकाइयों को **सारणी 3** में नीचे दिखाया गया है।

सारणी 3 : पदानुक्रम और चयनित इकाइयाँ



2.2.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा आयोजित की गई कि :-

- कर निर्धारण करने में अधिनियमों/नियमों का पालन तथा परिपत्रों/ ज्ञापनों के निर्देशों/आदेशों का अनुपालन किया गया,
- यह सुनिश्चित करना कि छूट/रियायत उद्घोषणा पत्र पर ही दी गयी है,
- यह सुनिश्चित करना कि क्या विवरणियों/अंकेक्षित खातों में सही जानकारी/सही समय पर प्रस्तुत की गई एवं
- मध्यप्रदेश वैट अधिनियम और नियमों के प्रावधान, राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए पर्याप्त है।

2.2.6 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्न मानदंडों पर आधारित हैं:

- मध्यप्रदेश वैट अधिनियम, 2002
- मध्यप्रदेश वैट नियम 2006
- केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956
- केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रेशन और टर्नओवर) नियम 1957
- विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये नियम, परिपत्र, ज्ञापन और निर्देश।

2.2.7 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग को लेखापरीक्षा करने के लिए सहयोग तथा जानकारी एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए विभाग का आभारी है।

विभाग के प्रमुख सचिव के साथ लेखापरीक्षा के क्षेत्र और कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में 18 फरवरी 2015 को प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया। निष्पादन लेखा परीक्षा का प्रारूप जुलाई 2015 को राज्य सरकार को भेजा गया। निष्पादन लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा आपत्तियां के सम्बन्ध में विभाग के प्रधान सचिव के साथ निर्गम सम्मेलन में 07 अक्टूबर 2015 को चर्चा की गयी। निष्पादन लेखापरीक्षा में सरकार/विभाग के विचारों को शामिल किया गया। लेखापरीक्षा के सभी पाँच अनुशंसाओं को विभाग द्वारा स्वीकार किया गया।

2.2.8 पंजीकृत व्यवसायी और अपंजीकृत व्यवसायों का सर्वेक्षण

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत व्यवसायियों की स्थिति और वर्ष 2010-11 से 2014-15 के मध्य उनकी वृद्धि का प्रतिशत तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2

वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में पंजीकृत व्यवसायियों की संख्या	वर्ष के दौरान पंजीकृत व्यवसायी	वर्ष के दौरान जिनके पंजीयन निरस्त किये गये ऐसे व्यवसायों की संख्या	वर्ष के अंत में पंजीकृत व्यवसायों की संख्या	पिछले वर्ष से पंजीकृत व्यवसायों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि
2010-11	232858	17678	9855	240681	-
2011-12	240681	28790	13644	255827	6.92
2012-13	255827	27903	20965	262765	2.71
2013-14	262765	26150	22454	266461	1.40
2014-15	266461	35378	24258	277581	4.17

(स्रोत : विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि पंजीकृत व्यवसायियों की संख्या में पिछले पांच वर्षों में प्रतिशत वृद्धि 1.40 और 6.92 प्रतिशत के मध्य है। नये व्यवसायियों को कर दायरे में लाने के लिए विभाग द्वारा कराये गये सर्वे के बारे में विभाग द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। यद्यपि उत्तर में बताया (अक्टूबर 2015) कि आयकर विभाग केन्द्रीय उत्पाद विभाग और दूसरे सरकारी विभागों से जानकारी एकत्र कर व्यवसायियों को कर दायरे में लाने के सतत् प्रयास किए जा रहे हैं।

सर्वे के सम्बन्ध में उचित जवाब नहीं देना, इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि अपंजीकृत व्यवसायियों जिन पर कर देयता है के सर्वे कराने हेतु विभाग द्वारा कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया।

2.2.9 राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्ति

वैट और केन्द्रीय विक्रय कर की 2010-11 से 2014-15 के अवधि की वास्तविक प्राप्तियाँ निम्न तालिका 2.3 में दिखायी गयी है।

तालिका 2.3

(राशि करोड़ ₹ में)

वर्ष	बजट अनुमान	सकल प्राप्तियां (वैट और सी.एस. टी.)	अंतर अधिक्त्य/ कमियां	बजट अनुमान के सापेक्ष अंतर (प्रतिशत में)	पूर्व वर्ष के सापेक्ष वास्तविक प्राप्तियां की प्रतिशत वृद्धि
2010-11	9320.00	10256.76	936.76	10.05	—
2011-12	11830.00	12516.73	686.73	5.80	(-) 22.03
2012-13	14000.00	14856.30	856.30	6.11	(-) 18.69
2013-14	16500.00	16649.85	149.85	0.90	(-) 12.07
2014-15	19500.00	18135.96	(-)1364.04	(-) 7.00	(-) 8.92

(स्रोत : म.प्र.शासन के वित्त लेखे)

उपरोक्त सारणी से यह आसानी से देखा जा सकता है कि वर्ष दर वर्ष राजस्व में सतत वृद्धि हुई है किन्तु राजस्व वृद्धि का प्रतिशत गिरावट में है तथा पिछले पाँच वर्षों में पंजीकृत व्यवसायियों की संख्या में वृद्धि एवं कर की दर में वृद्धि के बावजूद यह 22.03 प्रतिशत से 8.92 प्रतिशत गिरावट रही। इसके अतिरिक्त 2014-15 की अवधि के लिए वास्तविक प्राप्तियाँ बजट अनुमान से सात प्रतिशत कम रही।

निर्गम सम्मेलन में, राजस्व की गिरावट के विषय में विभाग द्वारा कहा गया (अक्टूबर 2015) कि बाजार में मंदी तथा पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी (इनका वैट राजस्व में लगभग 34 प्रतिशत का योगदान है) के कारण राजस्व में गिरावट हुई।

2.2.10 बकाया राजस्व

पांच वर्षों से अधिक के बकाया राजस्व और बकाया दायित्व के विवरण तालिका 2.4 में दर्शाये गए हैं :-

तालिका 2.4

(राशि करोड़ ₹ में)

अवधि	वर्ष के प्रारम्भ में प्रारम्भिक बकाया	वर्ष के दौरान वृद्धि	कुल	वर्ष के दौरान वसूली	वर्ष के अंत में अंतिम शेष	वर्ष के अंत में पाँच वर्षों से अधिक बकाया
2010-11	586.95	1214.02	1800.97	1271.17	529.80	194.53
2011-12	529.80	1667.19	2196.99	1679.06	517.93	202.45
2012-13	517.93	1748.39	2266.32	1708.57	557.75	180.75
2013-14	557.75	1898.24	2455.99	1879.52	576.47	320.92
2014-15	576.47	2761.02	3337.49	2733.58	603.91	305.80

(स्रोत : विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि बकाया राजस्व 2010-11 में ₹ 529.80 करोड़ से 2014-15 में ₹ 603.91 करोड़ हो गये और 2010-11 को छोड़कर बाकी पांच वर्षों में राजस्व बकाये में बढ़ोत्तरी का क्रम रहा है। इसी प्रकार, पांच वर्षों से अधिक के बकाया की राशि 2010-11 में ₹ 194.53 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 304.80 करोड़ हो गई। इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2015 तक बकाया राजस्व ₹ 603.91 करोड़ का हो गया जिसमें से ₹ 483.72 करोड़ के बकाया अन्य प्रकरणों की श्रेणी में आते हैं जैसे कि न्यायालयीन प्रकरण, अपील प्रकरण, बीमार इकाईयों इत्यादि से सम्बन्धित है।

निर्गम सम्मेलन में, विभाग ने बताया (अक्टूबर 2015) कि पूरे देश में मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग की कर निर्धारण प्रणाली सबसे अद्यतन है। कर निर्धारण प्रक्रिया को आसान कर यह हासिल किया गया है तथा विभाग वसूली की प्रगति से संतुष्ट है और ऐसा अपेक्षित है कि बकाया वसूली इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हो जाएगी।

हम शासन के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि राजस्व के बकाया में उत्तरोत्तर वृद्धि की ही प्रवृत्ति है ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

मूल्य संवर्धन कर के अंतर्गत कर निर्धारण की प्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा में, अधिनियम और नियमों को उल्लंघन और प्रणाली में कमियाँ आदि पायी गयी। इन कमियों के कारण राजस्व हानि की चर्चा आगामी परिच्छेदों में की गयी।

2.2.11 सकल विक्रय (टर्नओवर) का त्रुटिपूर्ण निर्धारण

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसायी की करयोग्य राशि का कम निर्धारण किया गया जबकि प्रकरण में अंकेक्षित खाते, विक्रय सूची तथा अन्य अभिलेखों से कुल कर योग्य राशि अधिक प्रमाणित हुई। कुल ₹ 499.41 करोड़ की राशि को कर निर्धारण हेतु शामिल नहीं किया गया परिणामस्वरूप ₹ 41.84 करोड़ की शास्ति सहित ₹ 82.08 करोड़ का करारोपण नहीं हुआ।

हमने अक्टूबर 2014 से जून 2015 के मध्य आठ संभाग कार्यालयों⁴, तीन क्षेत्रीय कार्यालय (भोपाल I, II और सागर-II) और 19 वृत्त कार्यालयों⁵ के 9,871 कर निर्धारण प्रकरणों में से 9,063 प्रकरणों की नमूना जाँच की और पाया कि 157 व्यवसायी के 160 प्रकरण जो कि 2009-10 से 2012-13 की अवधि में कर निर्धारण हुए थे, का कर निर्धारण करते समय कर योग्य राशि ₹ 3,094.65 करोड़ निर्धारित की जबकि प्रकरण नस्तियों में उपलब्ध अंकेक्षित खाते, विषय सूची और अन्य अभिलेखों से सकल आवर्त की राशि ₹ 3,594.07 करोड़ अवधारित हुई।

प्लांट और मशीनरी की बिक्री, उत्पाद शुल्क और विविध कर योग्य मूल्य व्यवसायी की कर योग्य राशि में शामिल नहीं किये गये। इसी प्रकार, संविदा कार्य, जॉब कार्य और विक्रय वापसी छूट आदि में अधिक कटौती दिखायी गयी। अतः मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 2(z) के प्रावधानों की उपेक्षा से कुल ₹ 499.41 करोड़ राशि का कर निर्धारण नहीं किया गया, इस धारा के अंतर्गत कर योग्य राशि का अर्थ व्यवसायी द्वारा सामान की बिक्री या आपूर्ति करने में बिक्री के समय विक्रय वापसी और छूट की राशि घटाने के बाद प्राप्त कीमत से है।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 40.24 करोड़ का कर आरोपित नहीं हुआ, इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 21(2) के अंतर्गत कम कर निर्धारण से ₹ 41.84 करोड़ का शास्ति भी व्यवसायियों पर आरोपणीय थी, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट I में है।

निर्गम सम्मेलन में, विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उठाये गये मुद्दों की निश्चित समय में जाँच/सुधार कर तथा कर निर्धारण के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने पर जोर दे। विभाग ने यह भी कहा कि आवश्यक मॉड्यूल को प्रणाली में लेते हुए ई-कर निर्धारण द्वारा कर निर्धारण प्रणाली को मजबूत बनाने की आवश्यकता थी। यह भी बताया गया कि निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान ली गयी लेखापरीक्षा आपत्तियों का उत्तर/स्वीकार्यता निर्धारित समय में प्रस्तुत किए जाएंगे। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2015)।

⁴ संभागकार्यालय (8) : टी.ए.डब्ल्यू, भोपाल, भोपाल-I, भोपाल-II, इंदौर-I, इंदौर टी.ए.डब्ल्यू-I, जबलपुर-II, रतलाम और सतना

⁵ वृत्त कार्यालय (19) : भोपाल-I, भोपाल-III, भोपाल-V, ग्वालियर-I, ग्वालियर-II, इंदौर-VII, इंदौर-IX, इंदौर-X, इंदौर-XI, इंदौर-XII, इंदौर-XIII, इंदौर-XIV, खरगोन, मण्डीदीप, रतलाम, सतना, संधवा, उज्जैन और वैढन

2.2.12 गलत दर से कर का आरोपण

कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा ₹ 143.54 करोड़ के आवर्त पर कम दर से करारोपण किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 26.80 करोड़ के शास्ति सहित ₹ 38.57 करोड़ के कर का अनारोपण/त्रुटिपूर्ण करारोपण हुआ।

हमने अक्टूबर 2014 से जून 2015 की अवधि में छः संभाग कार्यालयों⁶, तीन क्षेत्रीय कार्यालय (भोपाल-1, II और सागर-II) और 15 वृत्त कार्यालयों⁷ के 5,646 प्रकरणों में से 5,044 प्रकरणों की नमूना लेखापरीक्षा की और पाया कि 48 व्यवसायी के 51 प्रकरणों में जो कि 2009-10 से 2012-13 की अवधि के थे, का कर निर्धारण जनवरी 2012 और मार्च 2015 की अवधि में किया गया कर निर्धारण अधिकारी ने कर योग्य आवर्त ₹ 143.54 करोड़ पर कम दर से कर आरोपण वस्तुओं का तथा गलत वर्गीकरण कर किया जो कि मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 9 तथा इस सम्बन्ध में जारी अधिसूचनाओं का उलंघन था जिसके अन्तर्गत वस्तुओं पर करारोपण अनुसूची-II में दिए गए हैं जो कि वस्तु के वर्गीकरण पर आधारित है।

परिणामस्वरूप, ₹ 11.77 करोड़ का कम करारोपण हुआ। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 21(2) के अंतर्गत चूँकि कम दर निर्धारण व्यवसायियों पर आरोप्य था, में ₹ 26.80 करोड़ की शास्ति भी वसूल की जानी थी जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट II में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग ने बताया (अक्टूबर, 2015) कि यह वस्तु पर कर की दर के संबंध में मत भिन्नता के कारण हो सकता है। यह भी बताया गया कि हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नामनक्लेचर कोड की अनुपस्थिति में कर की दर के आंकलन करने में गलती की संभावना हुई हो। यह भी बताया कि निष्पादन लेखा परीक्षा में लेखापरीक्षा आपत्तियों का विस्तृत उत्तर निर्धारित समय में प्रस्तुत किया जायेगा। अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2015)।

2.2.13 गलत कटौती की अनुमति दिये जाने के कारण कर का कम आरोपण

प्रकरणों का कर निर्धारण करते समय कर निर्धारण अधिकारी ने विक्रय मूल्य में कर की राशि को शामिल मानते हुए कर की राशि को (विक्रय मूल्य से) घटाया। यद्यपि यह (कर की राशि) कुल विक्रय राशि में शामिल नहीं की गयी थी। इस कारण से ₹ 32.22 करोड़ का कम करारोपण हुआ।

2.2.13.1 अक्टूबर 2014 से जून 2015 की अवधि में दो संभाग कार्यालय (भोपाल-2 और जबलपुर-2) और 10 वृत्त कार्यालयों⁸ के 3,543 प्रकरणों में 3,229 प्रकरणों की नमूना लेखापरीक्षा की और पाया कि 13 व्यवसायियों के 14 प्रकरणों में जो कि 2010-11 से 2012-13 की अवधि के थे, का कर निर्धारण मई 2013 और फरवरी 2015 की अवधि में किया गया, कर योग्य राशि का निर्धारण करते समय कर निर्धारण

⁶ संभागीय कार्यालय(6) : भोपाल टैक्स आडिट,भोपाल-1,भोपाल-2, इंदौर-1, इंदौर टैक्स आडिट-1 और सतना

⁷ वृत्त कार्यालय(15) : भोपाल-1, भोपाल-3, भोपाल-5, देवास, ग्वालियर-1, ग्वालियर-2, इंदौर-7, इंदौर-10, इंदौर-11, इंदौर-13, मंडीदीप, सतना-1, संघवा, उज्जैन-1 और बेढ़न

⁸ वृत्त कार्यालय(10) : भोपाल-1, ग्वालियर-1,ग्वालियर-2,इंदौर-9,इंदौर-11,इंदौर-14, खरगौन, रतलाम-1, सतना-1 एवं उज्जैन-1

अधिकारी ने विक्रय मूल्य में कर की राशि घटायी है जबकि विक्रय मूल्य में कर की राशि शामिल नहीं थी।

यह मध्य प्रदेश वैट अधिनियम 2002 की धारा 2(x)(iii) के अनुसार, यदि विक्रय मूल्य में कर की राशि शामिल नहीं की गयी है तो यह (कर की राशि) विक्रय मूल्य में नहीं घटायी जाएगी। अतः यह म.प्र. वैट अधिनियम 2002 की धारा 2(x)(iii) का उल्लंघन था। परिणामस्वरूप ₹ 47 लाख का कम करारोपण हुआ। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 21(2) के अनुसार कम कर निर्धारण व्यवसायियों पर आरोप्य होने के कारण ₹ 70.14 लाख वसूली योग्य शास्ति का विवरण **परिशिष्ट III** में नीचे दिया गया है।

2.2.13.2 अक्टूबर 2014 से जून 2015 की अवधि में संभाग कार्यालय सतना और चार वृत्त कार्यालयों⁹ की 2,246 प्रकरणों में से 2,240 प्रकरणों की नमूना जांच की गयी और पाया गया कि 2011-12 से 2012-13 की अवधि के प्रकरणों जिनका फरवरी 2013 से फरवरी 2015 के मध्य 12 व्यवसायियों के 13 प्रकरणों का कर निर्धारण किया गया था, व्यवसायियों द्वारा प्रमाणित वैट ऑडिट रिपोर्ट¹⁰ प्रस्तुत की गयी। बिक्री की गयी वस्तुओं का मूल्य शुद्ध क्रय के आधार पर निकाला गया (अर्थात् वैट घटाकर क्रय) और वस्तुओं की विक्रय मूल्य की गणना, बेचे जाने वाली वस्तुओं की कीमत में लाभ जोड़कर की गयी। इस कारण, विक्रय मूल्य ही शुद्ध विक्रय थी (अर्थात् वैट के बिना) किन्तु प्रमाणित वैट ऑडिट रिपोर्ट में, विक्रय मूल्य को शुद्ध बिक्री के स्थान पर वैट के साथ विक्रय त्रुटिपूर्ण दर्शाया गया।

कर निर्धारण के दौरान कर निर्धारण अधिकारी ने वैट की छूट ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर बिना यह सुनिश्चित किए कि वैट ऑडिट रिपोर्ट में दिखायी गयी बिक्री वास्तव में शुद्ध बिक्री थी, प्रदान की। परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 21(2) के अंतर्गत शास्ति की राशि ₹ 23.28 करोड़ सहित ₹ 31.05 करोड़ का कम करारोपण हुआ जिसका वर्णन **परिशिष्ट IV** में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अक्टूबर 2015), विभाग ने विषय पर सहमति जतायी और आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2015)।

2.2.14 वस्तुओं को कर मुक्त मानते हुए विक्रय पर कर का अनारोपण

व्यवसायियों ने कर योग्य वस्तु की बिक्री की तथा कर मुक्त बिक्री का दावा किया। कर निर्धारण करते समय कर निर्धारण अधिकारी ने भी इन प्रकरणों को त्रुटिपूर्ण ढंग से कर मुक्त वस्तु मानते हुए बिक्री पर करारोपण नहीं किया। परिणामस्वरूप ₹ 1.26 करोड़ के शास्ति सहित ₹ 1.82 करोड़ का कम करारोपण रहा।

हमने अक्टूबर 2014 से जून 2015 की अवधि में एक संभाग कार्यालय (रतलाम) और छः वृत्त कार्यालयों¹¹ की 4,093 कर निर्धारण प्रकरणों में 4,068 प्रकरणों की नमूना जांच की गयी और पाया गया कि 2010-11 से 2011-12 के मध्य अवधि के प्रकरणों जिनका मई 2013 से मार्च 2015 के मध्य आठ व्यवसायियों के नौ प्रकरणों का कर निर्धारण किया गया व्यवसायियों ने अनुसूची-II में कर योग्य वस्तु जैसे कृषि सम्बन्धित

⁹ वृत्त कार्यालय(4) : भोपाल-5इंदौर-10,इंदौर-11,इंदौर-13,

¹⁰ अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत 1.4.12 से जिन पंजीकृत व्यवसायियों का सकल विक्रय 10 करोड़ रुपये से अधिक है उनके द्वारा रिपोर्ट फार्म 41-ए में इलेक्ट्रॉनिकली टैक्स ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

¹¹ वृत्त कार्यालय(6) : भोपाल-5,देवास,इंदौर-9,इंदौर-11,इंदौर-12,और मंडीदीप

पाइप, स्प्रिंकल पाइप और फिटिंग, वेन्टीलेटर्स और टोमैटो सॉस ₹ 10.74 करोड़ की बिक्री की।

कर निर्धारण अधिकारी ने गलत वर्गीकरण करते हुए अनुसूची-II के कर योग्य वस्तु को अनुसूची-I की कर मुक्त वस्तु माना तथा कोई कर आरोपित नहीं किया, जो कि मध्य प्रदेश वैट अधिनियम और ज्ञापन के विरुद्ध था। परिणामस्वरूप ₹ 55.55 लाख का कम करारोपण हुआ। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 21(2) के अंतर्गत शास्ति की राशि ₹ 1.26 करोड़ कम कर निर्धारण के कारण व्यवसायियों से देय है को **परिषिष्ट-V** में दिखाया गया है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, विभाग ने बताया (अक्टूबर 2015) कि वस्तु के वर्गीकरण और कर की दर लागू करने से सम्बन्धित है। विभाग ने आश्वस्त किया कि लापरवाही के कारण गलती पाए जाने पर अपेक्षित कार्यवाही होगी। तदुपरांत कोई जवाब नहीं दिया (नवम्बर 2015)।

हम अनुषंसा करते हैं कि राजस्व हानि को रोकने हेतु अधिनियम/नियमों के प्रावधानों को सर्तकतापूर्वक लागू किया जाए। साथ ही कठोर व्यवस्था बनाए रखने हेतु उत्तरदायित्व तय किये जाये जिससे कि कर निर्धारण प्रकरणों में प्रभावपूर्ण ढंग से हानि रोकी जाए।

2.2.15 आगत कर छूट (अधिनियम की धारा 14)

अंकेक्षित खातों में दिखायी गयी क्रय से अधिक क्रय पर आगत कर छूट, आगत कर छूट न प्राप्त करने योग्य वस्तु और राज्य के बाहर स्टॉक स्थानांतरण पर आगत कर छूट का रिवर्सल नहीं किया जाना/कम रिवर्सल आदि के परिणामस्वरूप ₹ 10.37 करोड़ की गलत/अधिक आगत कर छूट प्रदान की गयी।

हमने देखा कि मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों की अनदेखी करने के कारण 2011-12 से 2014-15 की अवधि के अप्रैल 2013 से मार्च 2015 में किये गये 76 व्यवसायियों के 80 कर निर्धारण प्रकरणों में आगत कर छूट की अनियमितता पायी गयी।

2.2.15.1 अंकेक्षित खातों में प्रमाणित क्रय से ज्यादा क्रय पर आगत कर रिबेट की स्वीकृति

हमने अक्टूबर 2014 से जून 2015 में पाँच संभाग कार्यालय¹² और 15 वृत्त कार्यालयों¹³ के 2010-11 से 2012-13 की अवधि के प्रकरण जिनका कर निर्धारण जुलाई 2012 और मार्च 2015 के मध्य हुआ था, 8,280 कर निर्धारण प्रकरणों में 7,551 कर निर्धारण प्रकरणों में हमने नमूना जांच में पाया कि 34 प्रकरणों में व्यवसायी अंकेक्षित खातों के क्रय के अनुसार ₹ 32.47 करोड़ की आगत कर छूट पाने की पात्रता रखते थे।

तथापि व्यवसायी द्वारा अनुचित दावा किया गया तथा कर निर्धारण अधिकारी ने अंकेक्षित खाते में प्रमाणित क्रय से ज्यादा क्रय पर ₹ 36.11 करोड़ की आगत कर छूट प्रदान की। इसी प्रकार 20 प्रकरणों में क्रय बिल/सूची के अभाव के बावजूद ₹ 3.71 करोड़ की आगत कर छूट प्रदान की और जहाँ बिलों में वैट पृथक से नहीं दिखाया गया वहाँ पर भी व्यवसायियों को ₹ 2.35 करोड़ की छूट दी।

¹² संभागीय कार्यालय(5) : भोपाल टेक्स आडिट, भोपाल-1, भोपाल-2, इंदौर टेक्स आडिट-1 और सतना

¹³ वृत्त कार्यालय(15) : भोपाल-1, भोपाल-5, ग्वालियर-1, ग्वालियर-2, इंदौर-9, इंदौर-10, इंदौर-11, इंदौर-12, इंदौर-13, मंडीदीप, रतलाम-1, सतना-1, सेंधवा, उज्जैन-1 और बैढन

यह मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 14(1) और नियम 9 के प्रावधानों का उलंघन था, जिसके अंतर्गत व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत विवरणियों के प्रमाणीकरण करने और प्रमाणित अंकेक्षित खातों में दिखायी गयी क्रय पर ही आगत कर छूट दी जानी चाहिए थी। परिणामस्वरूप ₹ 4.99 करोड़ की अनियमित आगत कर छूट की स्वीकृति दी गयी। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 21(2) के अंतर्गत कर के कम कर निर्धारण पर ₹ 3.21 करोड़ की शास्ति की राशि व्यवसायी से वसूली योग्य थी जिसे परिशिष्ट-VI में दिखाया गया है।

2.2.15.2 आगत कर छूट के लिए अस्वीकार्य वस्तुओं पर आगत कर रिबेट की स्वीकृति

आगत कर छूट न दिये जाने वाले वस्तुओं पर आगत कर छूट दिया गया अक्टूबर 2014 और जून 2015 के मध्य दो संभाग कार्यालय (भोपाल-II तथा रतलाम) और पॉच वृत्त कार्यालयों¹⁴ के 2,071 कर निर्धारण प्रकरणों में से 2,022 प्रकरणों में हमने नमूना जांच में पाया कि 2010-11 से 2012-13 की अवधि के प्रकरण जिनका कर निर्धारण अप्रैल 2013 से सितम्बर 2014 के मध्य हुआ था सात व्यवसायियों के सात प्रकरणों में, व्यवसायियों को ₹ 40.64 लाख की भवन निर्माण सामग्री और सरसों पर तथा उन व्यवसायियों जिन्होंने कम्पोजीशन ले रखा था, आगत कर छूट स्वीकृत किया गया था।

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 14(6) के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत व्यवसायी जिन्होंने अधिनियम की धारा 11(ए) के अंतर्गत कम्पोजीशन की सुविधा ली है और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित¹⁵ प्लांट मशीनरी उपकरण और पार्ट्स पर भी आगत कर छूट का दावा नहीं होगा या स्वीकृत किया जाएगा। इसी प्रकार, धारा 26-ए(4) के अंतर्गत सरसों के लिए भी आगत कर छूट का दावा नहीं होगा या स्वीकृत किया जाएगा। परिणामस्वरूप ₹ 40.64 लाख का कम करारोपण हुआ। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 21(2) के अंतर्गत कर के कम कर निर्धारण पर ₹ 1.13 करोड़ के शास्ति की राशि का विस्तृत विवरण तालिका 2.5 में नीचे दिखाया है।

तालिका 2.5

(राशि ₹ में)

क्र.	इकाई का विवरण	व्यवसायी का नाम, टिन प्र.क्र.	कर निर्धारण की अवधि/माह वस्तु	आई.टी.आर. दावा स्वीकृत की राशि	आई.टी.आर. के रोक की राशि	जुमाने की राशि
1.	वृत्त IX इंदौर	मै.साई शक्ति एग्रोटेक प्रा.लि. 23610905610 1074 / 11 (वैट)	2010-11 सितम्बर 2013 बिल्डिंग मैटीरियल (आयरन एण्ड स्टील और वेल्डिंग मैटीरियल)	1499750	184176	552528
2.	उपा.वा. कर रतलाम	गुजरात अम्बुजा ट्रांसपोर्ट प्रा.लि. उपायुक्त वाणिज्यिक कर 23553104439 सी.एस.0000031519 (वैट)	2010-11 अप्रैल 2013 बिल्डिंग मटेरियल	94084	94084	0
3.	वा.क.अ.। रतलाम	जी.एच.बीजापुर कं. रतलाम 23473404795 505 / 11 (वैट)	2010-11, अगस्त 2013 प्लांट एण्ड मशीनरी (कम्पोजीशन धारा 11-ए)	2976242	2976242	8928726

¹⁴ वृत्त कार्यालय(5) : इंदौर-9, इंदौर-11, रतलाम-1, सतना-1, और उज्जैन-1

¹⁵ बिल्डिंग मैटीरियल, धारा 14(6)(vi) के ज्ञापन ए-3-95-05-I-V(28) दिनांक 17 अगस्त 2007 के अंतर्गत अधिसूचित है।

4.	उपा.वा. क.॥ भोपाल	क्रॉम्पटन ग्रीव्ज लिमिटेड ट्रांसफार्मर डिवीजन 23644104120 11/11 (वैट)	2010-11, जून 2013 बिल्डिंग निर्माण में सीमेंट का उपयोग	38873	38873	116619
5.	वा.क.अ. वृत्त-1 सतना	मै.चेलाराम मन्नाराम 23167000222 732/3 (वैट)	2012-13, सितम्बर 2014 सरसों (मस्टर्ड)	489396	489396	1468188
6.	वा.क.अ. वृत्त-XI, इंदौर	मै.ममता ट्रांसफार्मर्स प्रा.लि. 23981100037 6/12 (वैट)	2011-12, जून 2014 बिल्डिंग मैटीरियल	57631	57631	172893
7.	वा.क.अ. वृत्त-XI, इंदौर	मै.ममता ट्रांसफार्मर्स प्रा.लि. 23981100037 6/12 (वैट)	2011-12, जून 2014 बिल्डिंग मैटीरियल (कम्पोजीशन वर्क)	40721	40721	122163
8.	वा.क.अ. वृत्त-1 उज्जैन	मै. लव नारंग 2328266638 2092/14 (वैट)	2011-12, अगस्त 2014 बिल्डिंग मैटीरियल	183018	183018	0
योग				5379715	4064141	11361117

निर्गम सम्मेलन के दौरान, विभाग ने बताया (अक्टूबर 2015) कि लेखा परीक्षा में लेखापरीक्षा आपत्तियों पर विस्तृत जवाब/स्वीकारोति भेजी जाएगी। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2015)।

2.2.15.3 राज्य के बाहर स्टॉक स्थानांतरण पर आई.टी.आर. का कम रिवर्सल या रिवर्सल नहीं किया जाना

अक्टूबर 2014 और जून 2015 के मध्य तीन संभाग कार्यालय जबलपुर-II, (रतलाम और सतना) और आठ वृत्त कार्यालयों¹⁶ के 4,279 कर निर्धारण प्रकरणों में 4,267 प्रकरणों की हमने नमूना जांच की और पाया कि 2010-11 से 2012-13 के मध्य कर निर्धारण प्रकरणों की अप्रैल 2013 से फरवरी 2015 के मध्य में 17 व्यवसायियों के 18 कर निर्धारण प्रकरणों में आगत कर छूट का कम रिवर्सल/रिवर्सल नहीं किया गया है। 11 प्रकरणों में ₹ 8.63 लाख का आगत कर छूट रिवर्सल नहीं किया गया जबकि अन्य सात प्रकरणों में ₹ 21.39 लाख की बिक्री और स्टॉक ट्रांसफर के अनुपात में आगत कर छूट का कम रिवर्सल हुआ।

इसके परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 14(1)(a)(6) के प्रावधानों के अंतर्गत वस्तुओं का निस्तारण करने के अन्यथा मध्यप्रदेश राज्य के भीतर विक्रय या अंतर्राज्यीय विक्रय या भारत के बाहर विक्रय करने पर उसके द्वारा क्रय मूल्य के चार प्रतिशत की दर या ऐसे वस्तुओं के शुद्ध आगत कर जो भी कम हो से आगत कर छूट (रिवर्सल) की राशि देय होगी इस प्रावधान की अनदेखी पर परिणामस्वरूप ₹ 30.04 लाख के आगत कर छूट का अनियमित दावा और स्वीकृति की गयी। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 21(2) के अंतर्गत कर के कम कर निर्धारण जो कि व्यवसायी पर आरोप्य था, ₹ 32.62 लाख की शास्ति का विवरण **परिषिष्ट VII** में दिखाया गया है।

¹⁶ वृत्त कार्यालय(20) : भोपाल-1,भोपाल-3,भोपाल-5,इंदौर-7,इंदौर-10,इंदौर-11,इंदौर-13,और सेंधवा

निर्गम सम्मेलन के दौरान, विभाग ने बताया (अक्टूबर 2015) कि लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तर/अनुपालन निर्धारित अवधि में दिये जायेंगे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2015)।

2.2.15.4 लौहा और इस्पात तथा खाद्य तेलों पर आगत कर छूट का प्रमाणीकरण नहीं होना

वाणिज्यिक आयुक्त के निर्देश के बावजूद लौहा और इस्पात तथा खाद्य तेल की खरीद और बिक्री का सत्यापन तार्किक अन्तिम बिन्दु तक न किया जाकर, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना सत्यापन के लौहा और इस्पात तथा खाद्य तेल पर राशि ₹ 21.21 करोड़ के आगत कर रिबेट की स्वीकृति प्रदान की गई।

अक्टूबर 2014 और जून 2015 के मध्य पाँच संभाग कार्यालय¹⁷, तीन क्षेत्रीय कार्यालयों (भोपाल-I, II, सागर-II) और नौ वृत्त कार्यालयों¹⁸ के 4,720 कर निर्धारण प्रकरणों में 4,610 की हमने नमूना जांच की और पाया कि अवधि 2009-10 से 2012-13 की अवधि के प्रकरणों को जून 2012 से फरवरी 2015 में 45 व्यवसायियों के 45 प्रकरण कर निर्धारण किये गये जिसमें ₹ 21.22 करोड़ का आगत कर छूट लौहा और इस्पात तथा खाद्य तेलों पर विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया।

हालांकि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी किये गये परिपत्रों¹⁹ के अनुसार लौहा और इस्पात तथा खाद्य तेलों के क्रय और विक्रय का प्रमाणीकरण किया जाना और इन वस्तु पर आगत कर छूट का अन्तिम बिन्दु तक प्रमाणीकरण किया जाना चाहिए था। जो नहीं किया गया। लौहा और इस्पात तथा खाद्य तेलों पर अन्तिम बिन्दु तक आगत कर छूट का प्रमाणीकरण न किये जाने वाले प्रकरणों का विस्तृत विवरण परिषिष्ट -VIII में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन में विभाग ने बताया (अक्टूबर 2015) की शुरुआत में मैनुयली करने पर पता लगाना संभव नहीं था, अब यह ऑन लाइन प्रणाली से प्रमाणित किया जा रहा था।

निष्पादन लेखापरीक्षा द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों में सत्यता लायी गयी कि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी किये गये परिपत्रों के अनुसार आगत कर छूट का प्रमाणीकरण लौहा और इस्पात तथा सरसों में अन्तिम बिन्दु तक किया जाना चाहिए था, नहीं किया गया।

2.2.16 आगत कर छूट का प्रमाणीकरण तंत्र

विभाग में प्रचलित प्रणाली से सभी प्रकरणों का आगत कर छूट प्रमाणीकरण ठोस रूप से संभव नहीं है।

विभाग में नकद वापसी के प्रकरणों में आगत कर छूट की स्वीकृति और प्रमाणीकरण के लिए आगत कर छूट का प्रमाणीकरण की अलग इकाई है। यद्यपि दूसरे प्रकरणों में विक्रय व्यवसायियों से क्रय का प्रमाणीकरण के लिए कोई तंत्र नहीं है जैसा कि मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 14(6-ए) के अंतर्गत हो, जो प्रावधानित करता है कि

¹⁷ संभागीय कार्यालय (5) : भोपाल टेक्स आडिट, भोपाल-1, भोपाल-2, इंदौर-1 और रतलाम

¹⁸ वृत्त कार्यालय(9) : भोपाल-1, भोपाल-3, इंदौर-7, इंदौर-9, इंदौर-11, इंदौर-14, खरगौन, मंडीदीप और रतलाम-1

¹⁹ परिपत्र क्रमांक 81/2009-10/30/15/502 इन्दौर दिनांक 9.12.2009 एवं परिपत्र क्रमांक 81/2009-10/30/15/588 इन्दौर दिनांक : 26.10.2010

पंजीकृत व्यवसायी द्वारा आगत कर छूट का दावा या स्वीकृति निर्धारित प्रतिबन्धों और शर्तों के साथ दी जाएगी।

हमने देखा कि पूर्व अनुच्छेदों में चर्चा किये गये मुद्दे यह तथ्य स्थापित करते हैं कि विभाग में प्रचलित प्रणाली से सभी प्रकरणों का आगत कर छूट प्रमाणीकरण ठोस रूप में संभव नहीं है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, आगत कर छूट प्रमाणीकरण तंत्र के विफल होने पर विभाग ने बताया (अक्टूबर 2015) कि 2013-14 के बाद के सभी आगत कर छूट प्रकरणों का दोहरा प्रमाणीकरण किया गया, इसके लिए एक विशेष प्रकोष्ठ बनाया जा चुका है तथा प्रत्येक व्यवसायी के ऑन लाइन विवरणी भरने से यह संभव हो सका है।

निष्पादन लेखा परीक्षा के अंतर्गत लाए गए प्रकरणों में प्रचलित प्रणाली की कार्य प्रणाली से आगत कर छूट, प्रमाणीकरण और स्वीकृत करने के परिप्रेक्ष्य में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन/विभाग को आगत कर छूट स्वीकृत करने के पहले दस्तावेजों और अंकेक्षित खातों से क्रय को प्रमाणित/प्रतिस्थापित करना सुनिश्चित करना चाहिए।

2.2.17 अंतर्राज्यीय व्यापार में उद्घोषणा पत्रों का अनियमित उपयोग

अंतर्राज्यीय व्यापार में उद्घोषणा पत्रों के उपयोग न करने या अनुचित फार्म का उपयोग करने के प्रकरणों में कर की दर में छूट/आंशिक की गलत स्वीकृति दी गयी। परिणामस्वरूप ₹ 22.56 करोड़ का कम/त्रुटिपूर्ण करारोपण नहीं हुआ।

सी.एस.टी. अधिनियम और नियमों के अंतर्गत बनाए गए प्रावधानों के अनुसार, अंतर्राज्यीय व्यापार में पंजीकृत व्यवसायी निर्धारित घोषणापत्र फार्म-सी, ई-1/ई-11 और फार्म-एफ को प्रस्तुत करने पर करों की छूट/आंशिक छूट की पात्रता द्वारा रखते हैं।

राज्य शासन, इन घोषणा पत्रों को प्रस्तुत करने पर व्यवसायियों को व्यापार को उन्नत करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करती है। अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान कर निर्धारण करते समय, कर निर्धारण अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित और वैध संवैधानिक पत्र जिसको राज्य के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, के आधार पर ही कर की रियायती दर पर स्वीकृति की जानी चाहिए अन्यथा अंतर्राज्यीय व्यापार करने पर मध्य प्रदेश वैट अधिनियम में दी गयी कर की दर से वस्तु की बिक्री पर कर लगेगा।

सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 8 सहपठित सी.एस.टी. (रजिस्ट्रेशन और टर्नओवर 1956) के नियम 12 के अनुसार, अंतर्राज्यीय वस्तु की बिक्री पर फार्म "सी" प्रस्तुत करने पर अप्रैल 2008 से मई 2008 में तीन प्रतिशत की दर एवं जून 2008 से दो प्रतिशत की दर से कर लगा है तथा सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 6-ए के अंतर्गत प्रेषण बिक्री (शाखा स्थानान्तरण) पर फार्म एफ को प्रस्तुत करने पर कर भुगतान करने से छूट मिलेगी। संवैधानिक पत्र और सम्बन्धित कागजात प्रस्तुत न करने पर अधिनियम में दिए गए इन माल पर कर की दर से करारोपण होगा।

इसी प्रकरण, सी.एस.टी. एक्ट की धारा 6(2) के अंतर्गत पारगमन बिक्री पर (ऐसे माल के एक राज्य से दूसरे राज्य में, इस तरह के वस्तु के मालिकाना हक के दस्तावेजों के हस्तान्तरण द्वारा प्रभावित) फार्म ई-1/11 और फार्म "सी" प्रस्तुत करने पर कर से मुक्त रहेगा।

2.2.17.1 बिना फार्म और दोषपूर्ण फार्म के आंशिक/पूर्ण छूट स्वीकृत की।

बिना "सी" फार्म एवं दोषपूर्ण सी/एफ फार्म के अंतर्राज्यीय सकल आवर्त ₹ 267.22 करोड़ का कर निर्धारण किया गया। परिणामस्वरूप 28 व्यवसायियों के 29 प्रकरणों में ₹ 1.22 करोड़ की शास्ति सहित ₹ 11.86 करोड़ का कम करारोपण हुआ।

अक्टूबर 2014 से जून 2015 के सात संभागीय कार्यालयों²⁰ और 10 वृत्त कार्यालयों²¹ के 1,864 में से 1,629 कर निर्धारण प्रकरणों की नमूना जाँच की और पाया कि 2010-11 से 2012-13 की अवधि के 28 व्यवसायियों के 29 प्रकरणों का कर निर्धारण अगस्त 2012 से फरवरी 2015 के मध्य "सी"/"एफ" फार्म बिना प्रस्तुत किये बिना/दोषपूर्ण "सी"/"एफ" फार्म करने पर भी छूट देते हुए अंतर्राज्यीय विक्रय की सकल राशि ₹ 267.72 करोड़ का कर निर्धारण किया गया।

बीस प्रकरणों में व्यवसायियों ने बिना "सी"/"एफ" फार्म जमा किये कर की छूट/आंशिक छूट की सुविधा प्राप्त की। इसी प्रकार, नौ प्रकरणों में व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत किये गये "सी"/"एफ" फार्म पूर्ण रूप²² से नहीं भरे गये और न ही क्रय व्यवसायी/एजेंट द्वारा विशिष्ट प्रविष्टियाँ और हस्ताक्षर किये गये इसके बावजूद व्यवसायी द्वारा सी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत कर की रियायती दर की सुविधा प्राप्त की गयी। परिणामस्वरूप ₹ 1.22 करोड़ की शास्ति सहित ₹ 11.86 करोड़ का कम करारोपण हुआ इसका वर्णन परिशिष्ट -IX में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, विभाग ने बताया (अक्टूबर 2015) कि त्रुटियों को सुधारने के लिए ऑनलाइन प्रणाली के द्वारा फार्म उत्पन्न किये गये और कर निर्धारण किया गया। यह भी बताया कि लेखापरीक्षा की आपत्तियों का उचित समय में उत्तर दिया जाएगा। अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2015)।

2.2.17.2 निर्धारित अवधि से पश्चात् के लेन-देन से संबंधित उद्घोषणा पत्रों का प्रयोग

निर्धारित अवधि के बाद के लेन देनों से संबंधित उद्घोषणा पत्रों (सी और एफ) स्वीकार किये गये और रियायती पर कर का करारोपण किया गया जिससे ₹ 83.31 लाख रुपये का कम करारोपण हुआ।

नवम्बर 2014 और जून 2015 के मध्य दो संभागीय कार्यालय (भोपाल-1 और रतलाम), एक क्षेत्रीय कार्यालय (भोपाल-1) और आठ वृत्त कार्यालयों²³ में 1,106 कर निर्धारण प्रकरणों में 964 प्रकरणों की हमने नमूना लेखा परीक्षा की और पाया कि 2008-09 से 2012-13 की अवधि के मई 2011 से मार्च 2015 के 20 व्यवसायियों के 20 प्रकरणों का कर निर्धारण किया गया, कर निर्धारण में निर्धारित अवधि के बाहर के उद्घोषणा पत्र

²⁰ संभागीय कार्यालय(7) : भोपाल टेक्स आडिट,भोपाल-1, इंदौर टेक्स आडिट-1, इंदौर-1 जबलपुर-2 रतलाम और सतना

²¹ वृत्त कार्यालय(10) : भोपाल-1, ग्वालियर-1, ग्वालियर-2, इंदौर-7, इंदौर-9, इंदौर-11, इंदौर-12, इंदौर-13, खरगौन और रतलाम-1

²² "सी" फार्म के प्रकरणों में: दिनांक जहाँ से पंजीयन वैध है, जारी करने वाले प्राधिकारी की मुद्रां, माल क्रय करने का उद्देश्य पंजीयन क्रं. तथा दिनांक, क्रय करने वाले व्यवसायी का नाम पंजीयन क्रं. के साथ, क्रय करने वाले व्यवसायी के हस्ताक्षर इत्यादि।

"एफ" के प्रकरण में: दिनांक जहाँ से पंजीयन वैध है, जारी करने वाले प्राधिकारी की मुद्रां, माल का विवरण तथा मात्रा, दिनांक तथा अंतरण कर्ता। अंतरिति का पंजीयन क्रं., अंतरण कर्ता तथा अंतरिति का नाम तथा पंजीयन क्रं. अंतरिति के हस्ताक्षर, माल की सुपुर्दगी का दिनांक इत्यादि।

²³ वृत्त कार्यालय(8) : भोपाल-1, देवास, इंदौर-11, इंदौर-12, इंदौर-13, इंदौर-14, सेंधवा और उज्जैन-1

(सी और एफ) स्वीकार किये गये और सकल आवर्त पर रियायती दर से करारोपण किया गया।

यह सी.एस.टी. एक्ट की धारा-8 सहपठित म.प्र. (केन्द्रीय) नियम के नियम-12 का उल्लंघन था, जिसके अनुसार उद्घोषणा पत्र "सी" फार्म को त्रैमासिक अवधि में प्रस्तुत करना है तथा उपनियम के अनुसार एक उद्घोषणा पत्र "सी" फार्म में किसी वित्तीय वर्ष की एक त्रैमासिकी के समान उन्ही क्रेता और विक्रेता के बीच के सभी लेन-देन शामिल रह सकते हैं। इसी प्रकार फार्म "एफ" का उपयोग मासिक आधार पर होता है और एक घोषणापत्र में किसी एक विशेष माह के लेन-देन शामिल होते हैं। इसके परिणामस्वरूप ₹ 83.31 लाख का कम करारोपण हुआ जो परिशिष्ट -X में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, विभाग ने बताया (अक्टूबर 2015) कि गलतियों को सुधारने, फार्म उत्पन्न करने के लिए कर निर्धारण का कार्य ऑनलाइन किया गया। यह भी बताया गया कि निर्धारित अवधि में लेखा परीक्षा की आपत्तियों का उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। (नवम्बर 2015)

2.2.17.3 सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 6(2) के अंतर्गत पारगमन विक्रय पर अनियमित छूट

सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 6(2) के अंतर्गत पारगमन विक्रय ₹ 229.21 करोड़ को कटौती की अनियमित स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 9.33 लाख के शास्ति सहित ₹ 9.87 करोड़ का कम करारोपण हुआ।

हमने अक्टूबर 2014 और जून 2015 के मध्य तीन संभागीय कार्यालय (भोपाल-II, जबलपुर-II और इंदौर-I) और दो वृत्त कार्यालय (इंदौर-IX और इंदौर-XII) के 215 कर निर्धारण प्रकरणों में से 99 प्रकरणों की नमूना जांच की और पाया कि 2009-10 से 2010-11 की अवधि के जून 2012 से सितम्बर 2013 के छः व्यवसायों के सात प्रकरणों का कर निर्धारण किया गया जिसमें केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 की धारा 6(2) के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था।

तीन व्यवसायी के चार प्रकरणों में पारगमन विक्रय को कटौती की अनियमित स्वीकृति प्रदान की गयी जबकि वस्तु के अधिकार सम्बन्धी दस्तावेज क्रेता के पक्ष में नहीं थे। परिणामस्वरूप ₹ 9.46 करोड़ कम करारोपण हुआ। इसी प्रकार तीन व्यवसायियों के तीन प्रकरण सकल विक्रय ₹ 13.76 करोड़ ई-1 सी फार्म से समर्थित नहीं थे। व्यवसायी उनके द्वारा ली गई कर की छूट के पात्र नहीं थे। व्यवसायियों द्वारा ई-1 और सी फार्म प्रस्तुत न किये जाने पर भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कटौती की छूट प्रदान की गयी, जिसके कारण ₹ 9.33 लाख शास्ति सहित ₹ 41.58 लाख रुपये का कम करारोपण हुआ जिसको कि तालिका 2.6 में नीचे दिखाया गया है।

तालिका 2.6

(राशि ₹ में)

क्र.	इकाई का विवरण	व्यवायी का नाम टिन, प्रकरण क्र.	कर निर्धारण की अवधि / माह	ट्रांजिट सेल स्वीकृति / स्वीकारयोग्य	ट्रांजिट सेल की राशि जिस पर आपत्ति ली गई	राशि कर / शास्ति की राशि	कुल
1.	संभागीय उपायुक्त-1 वा.क.इंदौर	मै.जेपलिन मोबाइल इण्डिया 23131504267 296 / 10	2009-10 जून 2012	450700980 0	45070098	901402 0	901402
2.	सं.उपा.वा. क.-II भोपाल	मै.सुनील हाई टेक इंजी.लि. बेतूल 23544704217 44 / 2011 वैट 38 / 2011 सी. एस.टी.	2010-11 सितम्बर 2013	118635410 0	118635410	4745416 0	4745416
3.	सं.उपा.वा. क.-II भोपाल	मै.हाइप्रो पावर कार्पोरेशन लि. बेतूल 23684705692 21 / 2011 सी. एस.टी.	2010-11 सितम्बर 2013	1157081365 0	1157081365	80676280 0	80676280
4.	सं.उपा.वा. क.-II भोपाल	मै.हाइप्रो पावर कार्पोरेशन लि. बेतूल 23684705692 21 / 2011 ई.टी.	2010-11 सितम्बर 2013	826510373 0	826510373	8265103 0	8265103
		योग (ए)		2147297246	2147297246	94588201	94588201
5.	वृत्त-IX इंदौर	मै.पराग इंटरप्राइजेज 23890902352 / सी.एस. 0000000011737	2010-11 मई 2013	9581125 7189505	2391621	310910 932730	1243640
6.	वृत्त-XII इंदौर	मै.यूनियन इंटरप्राइजेज 23601204812 सी.एस. 000000074952 सी.एस.टी.	2010-11 सितम्बर 2013	6972550 0	6972550	348628 0	348628
7.	सं.उपा.वा. क.जबलपुर	मै. महावीर कोल रिसोर्सज प्रा.लि. 23787206297 2 / 11 सी.एस. टी.	2010-11 सितम्बर 2013	128298387 0	128298387	2565968 0	2565968
		योग (बी)		144852062 7189505	137662558	3225506 0	4158236
	कुल योग (ए + बी)			2292149308	2292149308	97813707 0	98746437

निर्गम सम्मेलन के दौरान, विभाग ने बताया कि (अक्टूबर 2015) त्रुटियों को सुधारने के लिए ऑनलाइन प्रणाली के अंतर्गत फार्म उत्पन्न किये गये और कर निर्धारण किया गया। यह भी बताया कि लेखा परीक्षा की आपत्तियों का निर्धारित समय में उत्तर दिया जाएगा। अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2015)।

हम अनुशंसा करते हैं कि अंतर्राज्यीय व्यापार में उद्घोषणा पत्रों को प्रस्तुत करने पर उसके प्रमाणीकरण के लिए पूर्ण रूप से भरे होना सुनिश्चित किया जाए।

2.2.18 निर्धारित किये गये कर के विरुद्ध टी.डी.एस. का अनियमित समायोजन

कर निर्धारण अधिकारी ने सोयाबीन और कपास की बिक्री में निर्धारित किये गये कर में से एक कैलेण्डर माह से ज्यादा अवधि के लेन-देनों के टी.डी.एस. प्रमाण-पत्रों के टी.डी.एस. समायोजन की स्वीकृति दी। इसके परिणाम स्वरूप ₹ 4.45 करोड़ टी.डी.एस. का अनियमित समायोजन हुआ।

हमने अक्टूबर 2014 और जून 2015 के मध्य दो संभागीय कार्यालय (टैक्स ऑडिट विंग भोपाल और इंदौर-I), तीन क्षेत्रीय कार्यालय (भोपाल-I, II और सागर-II) और आठ वृत्त कार्यालयों²⁴ में 4304 कर निर्धारण प्रकरणों में से 4,226 प्रकरणों की नमूना लेखा परीक्षा की और पाया कि 2009-10 से 2012-13 की अवधि के फरवरी 2013 से फरवरी 2015 के मध्य 39 व्यवसाइयों के 40 निर्धारित प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी ने एक कैलेण्डर माह से अधिक की अवधि के लेन-देनों से सम्बन्धित टी.डी.एस. प्रमाण-पत्रों का अधिसूचित वस्तुओं²⁵ की बिक्री में निर्धारित कर के विरुद्ध टी.डी.एस. समायोजन की स्वीकृति प्रदान की।

यह म.प्र. वेट अधिनियम की धारा 26-ए के प्रावधानों का उल्लंघन था, जिसमें एक कैलेण्डर माह की अवधि के लेन-देन के लिए टी.डी.एस. प्रमाण-पत्र प्रभावशील होगा। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 4.45 करोड़ के टी.डी.एस. का अनियमित समायोजन हुआ जिसका विवरण परिशिष्ट-XI में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, विभाग ने बताया (अक्टूबर 2015) की सम्बन्धित व्यवसाइयों से संशोधित टी.डी.एस. प्राप्त किये जा रहे हैं। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2015)

2.2.19 पूर्ण दस्तावेजों के अभाव में प्रकरणों का कर निर्धारण

अंकेक्षित खातों के साथ आवश्यक कागजात, अनिवार्य रूप से सम्बन्धित प्रपत्र और सही/पूर्ण उद्घोषणा पत्र सकल विक्रय निर्धारित करने आई.टी.आर और कोई दूसरे छूट यदि कोई हो का दावा, कर निर्धारण में सत्यापित करने हेतु आवश्यक है यद्यपि देखा गया है कि कर निर्धारण अधिकारी ने आवश्यक दस्तावेज न होने पर भी कर निर्धारण किया जिसका वर्णन नीचे किया गया है।

2.2.19.1 प्रमाणिक अंकेक्षित खातों का प्रस्तुत नहीं किया जाना

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सकल आवर्त ₹ 1,380.21 करोड़ के 33 प्रकरणों का खातों में दिखाये गये आंकड़ों के आधार पर कर निर्धारण किया जबकि खाते सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित नहीं किये गये थे। यद्यपि 33 व्यवसाइयों के 30 प्रकरणों में न्यूनतम ₹ 10,000 का शास्ति आरोपित किया गयी जो कि व्यवसायी द्वारा अंकेक्षित खातों को प्रस्तुत न करने के लिए हतोत्साहितकरने हेतु पर्याप्त नहीं था।

हमने नवम्बर 2014 और जून 2015 के मध्य चार संभागीय कार्यालय²⁶ और आठ वृत्त कार्यालयों²⁷ के 840 कर निर्धारण प्रकरणों में से 677 प्रकरणों की नमूना जांच की और पाया कि 2009-10 से 2012-13 की अवधि के जून 2012 से मार्च 2015 के मध्य निर्धारित 33 व्यवसाइयों के 33 प्रकरणों का व्यवसायीयों द्वारा (सी.ए.) से प्रमाणित अंकेक्षित खाते की रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की गयी।

²⁴ कार्यालय(8) : भोपाल-3, देवास, ग्वालियर-2, इंदौर-10, इंदौर-14, खरगौन, मंडीदीप और सेंधवा

²⁵ सोयाबीन, सरसों एवं कपास

²⁶ संभागीय कार्यालय(4) : भोपाल-2, इंदौर-1, इंदौर टेक्स ऑडिट-1, और रतलाम

²⁷ वृत्त कार्यालय(8) : भोपाल-1, भोपाल-5, इंदौर-11, इंदौर-12, इंदौर-13, इंदौर-14, रतलाम, और बैड़न

तथापि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सकल आवर्त ₹ 1,380.21 करोड़ के इन प्रकरणों का खातों में दिखाये गये जिन आंकड़ों के आधार पर कर निर्धारण किया गया वह खाते सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित नहीं किये थे।

यद्यपि, ऊपर बताये गये प्रकरणों में से 30 प्रकरणों पर शास्ति आरोपित की मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत प्रत्येक व्यवसायी जिसका सकल आवर्त एक वर्ष में एक करोड़ रुपये से अधिक²⁸ होता है उसको अपने खातों को सनदी लेखाकार से अंकक्षित कराना चाहिए और रिपोर्ट को निर्धारित तरीके से और निर्धारित समय पर प्रस्तुत करना चाहिए। अधिनियम के अनुसार, दिये गये प्रावधानों का पालन नहीं किये जाने पर ₹ 10,000 या वर्ष की विक्रय राशि का 0.1 प्रतिशत जो भी कम हो, की शास्ति व्यापारी पर लगाया जाएगा। यद्यपि व्यवसायी द्वारा अंकक्षित खाते प्रस्तुत न करने पर कवल न्यूनतम राशि ₹ 10,000 का शास्ति आरोपित करना व्यवसायी को हतोत्साहित करने हेतु पर्याप्त नहीं है।

निर्गम सम्मेलन में (अक्टूबर 2015), विभाग ने आपत्तियों को स्वीकारा और आश्वासन दिया कि यदि लापरवाही की गयी तो अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उचित कार्यवाही की जाएगी और आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके आगे अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2015)।

हम अनुशंसा करते हैं कि सजा के प्रावधान कठोर करने के लिए विभाग को शास्ति की राशि बढ़ानी चाहिए, ताकि अंकक्षित खाते प्रस्तुत न करना हतोत्साहित प्रभाव करने वाला हो।

2.2.19.2 अंकक्षित खाते में प्रारम्भिक स्कंध और अंतिम स्कंध में विभाजन न करना और क्रय तथा विक्रय का गलत वर्गीकरण करना।

35 व्यवसायियों के 37 प्रकरणों में प्रारम्भिक स्कंध और अंतिम स्कंध में मद/वस्तुवार में उचित कर अनुपालन किये बिना और क्रय तथा विक्रय का सही वर्गीकरण सुनिश्चित किये बिना कर निर्धारण किया गया।

हमने नवम्बर 2014 और मार्च 2015 के मध्य दो संभागीय कार्यालय (इंदौर-1 और रतलाम), एक क्षेत्रीय कार्यालय (भोपाल-1) और 11 वृत्त कार्यालयों²⁹ में 861 कर निर्धारण प्रकरणों में से 796 प्रकरणों की नमूना लेखा परीक्षा की और पाया कि 2009-10 से 2012-13 की अवधि के जून 2012 से फरवरी 2015 के मध्य निर्धारित 35 व्यवसायियों के 37 प्रकरणों में अंकक्षित खाते में कि प्रारम्भिक स्कंध और अंतिम स्कंध में विभाजन और सही वर्गीकरण के साथ विक्रय नहीं दिखाया गया जबकि मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत यह आवश्यक था।

यद्यपि, कर निर्धारण बिना उचित कर, अनुपालन के किया गया प्रारम्भिक और अंतिम स्कंध में मद/वस्तुवार से विभाजन और सही वर्गीकरण के साथ क्रय और विक्रय को कर निर्धारित करने में प्रदर्शित किया जाना चाहिए क्योंकि गलत वर्गीकरण दुष्प्रभाव से सकते हैं जिनको पूर्व के परिच्छेदों में बताया जा चुका है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अक्टूबर 2015), विभाग ने आपत्तियां स्वीकार की और आश्वासन दिया कि यदि ऐसी गलतियां की जाती हैं तो अधिनियम के नियमों के अंतर्गत उचित कार्यवाही कर आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे।

इसके आगे उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2015)।

²⁸ दि.09.08.2010 तक ₹ 40 लाख और दि.10.08.2010 से 31.03.2011 ₹ 60 लाख

²⁹ वृत्त कार्यालय(11) : भोपाल-1,भोपाल-3, ग्वालियर-2, इंदौर-7,इंदौर-9,इंदौर-10, इंदौर-11,इंदौर-12,इंदौर-13,रतलाम-1, और संधवा,

2.2.19.3 फार्म-49 प्रस्तुत न करना।

कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित नहीं किया कि फार्म-49 चेक पोस्ट से प्राप्त किये गये और संबंधित नस्ती में रखे गये ताकि वस्तुओं के मध्यप्रदेश राज्य में आयात या राज्य से निर्यात करने के दौरान कर चोरी रोकी जा सकें।

मध्यप्रदेश राज्य में वस्तुओं के आयात या राज्य के बाहर निर्यात करने पर कर अपवंचन को रोकने के उद्देश्य से वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अधिसूचित वस्तु के लिए उद्घोषणा पत्र फार्म-49 धारा 57(2) के अंतर्गत निर्धारित है। चेक पोस्ट द्वारा प्रमाणित फार्म-49 प्राप्त किये जाने के बाद व्यवसायी की प्रकरण नस्ती में रखे जाने चाहिए जिससे कि विभाग के नियमानुसार माल का भौतिक सत्यापन प्रमाणित किया जा सके। अधिसूचना³⁰ के अनुसार, प्रत्येक प्रकरण नस्ती में फार्म-49 विवरणियों के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने चाहिए जिससे कि राजस्व हित में भविष्य में किसी भी संवीक्षा के लिए यह स्वतः में ही पर्याप्त हो। प्रकरणों के कर निर्धारण नस्ती में यह बताया जाना चाहिए कि व्यवसायी के क्रय तथा विक्रय को फार्म-49 (चेक पोस्ट से प्राप्त होने पर) में दिये विवरण से सत्यापित/मिलान कर लिया गया है।

हमने अक्टूबर 2014 और मार्च 2015 के मध्य तीन संभागीय कार्यालयों से (भोपाल-I, II और इंदौर-I) और आठ वृत्त कार्यालयों³¹ में 3,628 कर निर्धारण प्रकरणों में से 3,392 प्रकरणों की नमूना लेखा परीक्षा की और पाया कि 2009-10 से 2012-13 की अवधि के मध्य जून 2012 से फरवरी 2013 के 31 व्यवसायियों के 32 प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण करते समय प्रकरणों में यह सुनिश्चित नहीं किया कि संबंधित कागजात जैसे फार्म-49 चेक पोस्ट से प्राप्त किये गये और नस्तीयों में लगाए गए। इन आधारभूत कागजातों के अभाव में, प्रदेश के बाहर की क्रय (वस्तु और मात्रा) का व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख/विवरणियों से मिलान नहीं किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, विभाग ने बताया (अक्टूबर 2015) कि यह कार्य अब कम्प्यूटरीकृत प्रणाली सिस्टम के अंतर्गत किया जा रहा है क्योंकि राज्य में माल प्रवेश करते समय चेक पोस्ट पर फार्म-49 के साथ इलेक्ट्रॉनिकली प्रविष्टि होती है और यह अधिकारियों के विश्लेषण के लिए इलेक्ट्रॉनिकली उपलब्ध रहती है।

2.2.20 आंतरिक नियंत्रण तंत्र

2.2.20.1 आंतरिक लेखापरीक्षा का अभाव

आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण तंत्र का अति आवश्यक घटक है और यह कानून के नियमों और विभागीय निर्देशों को यथोचित लागू कराना सुनिश्चित करता है। यह त्वरित सेवाओं के लिए आवश्यक वित्तीय और प्रबन्धकीय सूचना तंत्र को बढ़ाने में मदद करता है, कर अपवंचन, अधिक वसूली तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने में सहायता प्रदान करता है अतः यह आंतरिक नियंत्रण तंत्र का महत्वपूर्ण घटक है।

लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि वाणिज्यिक कर विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा विंग उपस्थित नहीं था। पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इसका उल्लेख किया गया था तब भी आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली स्थापित नहीं की गयी।

विभाग ने स्वीकार किया (अप्रैल 2015) कि वाणिज्यिक कर विभाग में अलग से कोई आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं है।

³⁰ परिपत्र क्र./सी.टी./वैट/15/06/1/टे/294 इंदौर दिनांक 02.08.2006 और परिपत्र क्र. 4/2012-13/30/15/300 दिनांक 27.04.2012

³¹ वृत्त कार्यालय(8) : भोपाल-1,भोपाल-3,भोपाल-5,ग्वालियर-2, इंदौर-9,इंदौर-12,इंदौर-13,और बेढ़न

2.2.20.2 अधिनियम की धारा-19 के अंतर्गत कर लेखापरीक्षा में मानदण्ड का अनुपालन न किया जाना।

कर लेखापरीक्षा के चयनित प्रकरणों की जानकारी ना तो वाणिज्यिक कर आयुक्त ने प्रदान की और ना ही कर लेखापरीक्षा भोपाल और इन्दौर कार्यालयों के पास उपलब्ध थी। साथ ही कर लेखापरीक्षा निर्धारित समय अवधि में इसे पूर्ण नहीं किया गया।

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत कर लेखापरीक्षा में निर्धारित मापदण्डों के आधार पर प्रकरणों का यादृच्छिक चयन किया जाएगा। कर लेखापरीक्षा में प्रकरणों के चयन के तरीको न मानना (अनुपालन न होना) और आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा जारी परिपत्रों³² के अनुसार 2 संभागीय उपायुक्त हिन्दी कार्यालय भोपाल और इंदौर-कमिश्नर के द्वारा तय किये गये मापदण्ड/उद्देश्य के आधार पर प्रत्येक वर्ष हिन्दी के लिये चयनित इकाइयों की सूची जारी की जाती है, जो न संभागीय कार्यालय में उपलब्ध थी और न ही आयुक्त कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी। उपायुक्त कर लेखापरीक्षा भोपाल और इंदौर ने यह सूचना दी कि कर लेखापरीक्षा के प्रकरणों का चयन आयुक्त कार्यालय से किया जाता है। यद्यपि आयुक्त कार्यालय ने लेखापरीक्षा को आवश्यक जानकारी नहीं दी। अतः निष्पादन लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि चयनित प्रकरण कर लेखापरीक्षा हेतु लिए गये।

कर लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध प्रकरणों की वर्षवार स्थिति तथा उपायुक्त टैक्स ऑडिट इन्दौर-1 और भोपाल द्वारा वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान टैक्स ऑडिट में नहीं लिए गये प्रकरण तालिका 2.7 में नीचे दर्शाये गये हैं।

तालिका 2.7

वर्ष	टैक्स ऑडिट विंग का नाम	वर्ष के प्रारम्भ में प्रकरणों की संख्या	वर्ष में प्राप्त प्रकरण	वर्ष के दौरान टैक्स ऑडिट के लिए उपलब्ध प्रकरण	वर्ष के दौरान लेखा परीक्षित प्रकरणों की संख्या	वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा नहीं किये गये प्रकरणों की संख्या	उपलब्ध प्रकरणों के सापेक्ष लेखा परीक्षा न किये गये प्रकरणों का प्रतिशत
2012-13	इंदौर-1	187	567	754	594	160	21.22
	भोपाल	314	1840	2154	541	1613	74.88
2013-14	इंदौर-1	160	929	1089	722	367	33.70
	भोपाल	1613	1062	2675	2318	357	13.34
2014-15	इंदौर-1	367	159	526	456	70	13.30
	भोपाल	357	560	917	615	302	32.92
योग		2998	5117	8115	5246	2869	

(स्रोत : विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 की अवधि में कर लेखापरीक्षा विंग द्वारा 13.30 प्रतिशत से लेकर 74.88 प्रतिशत प्रकरणों की लेखापरीक्षा नहीं की गयी।

चयनित इकाइयों की सूची उपलब्ध नहीं होने से लेखापरीक्षा में यह आस्वासित नहीं किया जा सका कि आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा निर्धारित किये गये चयनित मापदण्डों का सही ढंग से पालन किया गया।

³²आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग इंदौर परिपत्र क्र. 15/06/वैट/187 इंदौर दिनांक 21.06.2006

विभाग ने बताया कि (जून 2015) टैक्स ऑडिट के लिए चयनित/ सूची इकाइयों के चयन के लिए तय करने का आधार उपलब्ध नहीं है। यह बताया गया कि सूचना एकत्रित करके लेखापरीक्षा को प्रस्तुत कर दी जाएगी।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, विभाग ने बताया (अक्टूबर 2015) कि मापदण्डों के अनुसार चयनित इकाइयों के लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराई जाएगी और कम प्रकरणों की गयी लेखापरीक्षा के लिए यह बताया गया कि विभागीय समस्या और कर्मचारियों की संख्या कम होने से सभी चयनित किये गये प्रकरण की लेखापरीक्षा टैक्स ऑडिट में नहीं की जा सकी है।

2.2.20.3 विभागीय नियमावली का अभाव

नियमावलीवेट के अन्तर्गत कर निर्धारण करने की कार्यविधि का खाका और सही दिशा निर्देश का पालन कराती है। नियमावली, कर निर्धारण अधिकारी को व्यवसाइयों का कर निर्धारित करने नीति निर्धारण करने, साधारण नियम और प्रक्रियाओं का पालन कराने में मार्गदर्शक है। नियमावलीप्रभावी नियंत्रण के लिए आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा तैयार करती है।

हमने देखा कि वाणिज्यिक कर विभाग में कोई नियमावलीनहीं था जिससे कि वाणिज्यिक कर विभाग की पूरी कार्यशैली में नियंत्रण न होने का जोखिम है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, विभाग ने बताया (अक्टूबर 2015) की एक संस्था के माध्यम से नियमावलीतैयार करने की प्रक्रियाजारी है जिसे जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा।

हम अनुशंसा करते हैं कि विभाग को, आंतरिक लेखा परीक्षा विंग बनाकर विभाग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करना चाहिए है और विभागीय नियमावली को पूर्ण करना चाहिए जिससे की वैट निर्धारण के अंतर्गत नीति, सामान्य नियमों और प्रक्रियाओं के पालन की रूपरेखा निर्धारित हो सकें।

2.2.21 निष्कर्ष और अनुशंसाए

निष्पादन लेखा परीक्षा में निम्नलिखित प्रकट हुआ :-

- व्यवसाइयों के प्रकरण नस्तियों में उपलब्ध अंकेक्षित खातों/अन्य अभिलेखों में दर्ज सकल विक्रय के विरुद्ध कर योग्य सकल विक्रय का निर्धारण करने में मध्य प्रदेश वेट अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया तथा त्रुटिपूर्ण दरों का अनुप्रयोग किया जिससे ₹ 154.69 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

- **अनुशंसा :** हम अनुशंसा करते हैं कि राजस्व हानि को रोकने हेतु अधिनियम/नियमों के प्रावधानों को सर्तकतापूर्वक लागू किया जाए। साथ ही कठोर व्यवस्था बनाए रखने हेतु उत्तरदायित्व तय किये जाये जिससे कि कर निर्धारण प्रकरणों में प्रभावपूर्ण ढंग से हानि रोकी जाए।

- कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अंकेक्षित खातों के क्रय से अधिक के क्रय पर आई टी.आर.स्वीकृत किया, आई.टी.आर. की छूट प्राप्त न करने वाले वस्तु पर आई.टी.आर. और स्टॉक स्थानांतरण में आई.टी.आर. का नॉन रिवर्सल/कम रिवर्सल और विक्रेता व्यवसाइयों से क्रय का प्रमाणित न करने के कारण ₹ 10.36 करोड़ के आई.टी.आर. को स्वीकृत किया गयां वाणिज्यिक कर विभाग ने कार्य की समीक्षा हेतु टोस प्रणाली नहीं बनाई ।

● **अनुशंसा** : हम अनुशंसा करते हैं कि शासन/विभाग को आगत कर छूट स्वीकृत करने के पहले दस्तावेजों और अंकक्षित खातों से क्रय को प्रमाणित/प्रतिस्थापित करना सुनिश्चित करना चाहिए।

● कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण करने में ज्यादा गंभीरता नहीं दिखायी जिससे कई प्रकरणों में फार्म के बगैर और फार्म के गलत/अवैध/द्वितीय प्रति होने पर भी छूट प्रदान की गयी जो कि अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है परिणामस्वरूप ₹ 22.56 करोड़ का कम करारोपण हुआ।

अनुशंसा : हम अनुशंसा करते हैं कि अंतर्राज्यीय व्यापार में उदघोषणा पत्रों को प्रस्तुत करने पर उसके प्रमाणीकरण के लिए पूर्ण रूप से भरे होना सुनिश्चित किया जाए।

● विभाग ने अनिवार्य रूप से जमा किये जाने वाले संवैधानिक रिपोर्ट/फार्म आदि को सुनिश्चित किये बिना कर निर्धारण किया तथा अंकक्षित खाते न प्रस्तुत करने पर साधारण शास्ति का प्रावधान व्यवसायों के लिए पर्याप्त नहीं है।

अनुशंसा : हम अनुशंसा करते हैं कि सजा के प्रावधान कठोर करने के लिए विभाग को शास्ति की राशि बढ़ानी चाहिए, ताकि अंकक्षित खाते प्रस्तुत न करना हतोत्साहित प्रभाव करने वाला हो।

● आंतरिक लेखा परीक्षा विंग न होने तथा विभागीय नियमावली के न होने से आंतरिक नियंत्रण अपूर्ण था। तदुपरांत कर लेखापरीक्षा के लिए आयुक्त, वाणिज्यिक विभाग द्वारा कर लेखापरीक्षा में चयनित प्रकरणों के लिए तय किए गए मापदण्ड का पालन नहीं किया गया।

● **अनुशंसा** : हम अनुशंसा करते हैं कि विभाग को, आंतरिक लेखा परीक्षा विंग बनाकर विभाग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करना चाहिए है और विभागीय नियमावली को पूर्ण करना चाहिए जिससे की वैट निर्धारण के अंतर्गत नीति, सामान्य नियमों और प्रक्रियाओं के पालन की रूपरेखा निर्धारित हो सकें।

2.3 अन्य लेखापरीक्षा आपत्तियां :-

हमने वाणिज्यिक कर विभाग में मूल्य संवर्धन कर, केन्द्रीय विक्रय कर प्रवेश कर आदि के कर निर्धारण अभिलेखों की जांच की और पाया कि कई प्रकरणों में अधिनियम/नियमों के प्रावधानों का पालन न होना, कर का कम /अनारोपण/ शास्ति/दण्ड, गलत कर की दर लगाना, कर योग्य टर्नओवर से गलत राशि हटाना, गलत छूट और अन्य प्रकरण जिन्हें इस अध्याय में आगे अनुच्छेदों में बताया गया है।

यह सभी प्रकरण उदाहरणात्मक हैं और हमारे द्वारा की गई नमूना जांच पर आधारित है। पूर्व की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा छोड़े गये इन बिन्दुओं को ध्यान में लाया गया था किन्तु न केवल इस तरह की अनियमितताएं लगातार होती रही बल्कि पकड़ में नहीं आ पायी जब तक लेखापरीक्षा पूर्ण नहीं हो गयी। यह सरकार के लिए आवश्यक है कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करे जिससे कि ऐसी छूट रोकी जा सके।

2.4 कर योग्य राशि का गलत निर्धारण

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹ 26.78 करोड़ की गलत कर योग्य राशि का निर्धारण किया गया जबकि व्यवसायों के अंकेक्षित खातों/विक्रय सूची/ सम्बन्धित रिकार्ड से ₹ 31.34 करोड़ का कर निर्धारण किया जाना था, परिणामस्वरूप, ब्याज और शास्ति की राशि ₹ 25.18 लाख सहित ₹ 54.75 लाख का कम करारोपण हुआ।

हमने जून 2013 और फरवरी 2015 के मध्य देखा कि दो संभागीय कार्यालय (इंदौर और जबलपुर) एक क्षेत्रीय कार्यालय (ग्वालियर) और नौ वृत्त कार्यालय³³ के 10,629 कर निर्धारण प्रकरणों में से 10,210 प्रकरणों की लेखापरीक्षा की गयी। 2009-10 और 2011-12 की अवधि के दिसम्बर 2011 और सितम्बर 2013 के मध्य 12 व्यवसायों के 12 प्रकरणों का कर निर्धारण किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण करते समय ₹ 26.78 करोड़ का गलत कर योग्य राशि का निर्धारण किया जबकि व्यवसायों के अंकेक्षित खातों/विक्रय सूची और प्रकरण में उपलब्ध अन्य रिकार्ड से ₹ 31.34 करोड़ का कर निर्धारण किया जाना था। यह मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 2(जेड) के प्रावधानों का उल्लंघन था, जिसके अनुसार आवर्त राशि का अर्थ व्यवसायी द्वारा माल के विक्रय या आपूर्ति करने में निश्चित अवधि के भीतर विक्रय वापसी और कमीशन को हटाकर प्राप्त धन राशि से है। इस प्रकार ₹ 4.86 करोड़ के आवर्त राशि का कर निर्धारण नहीं किया गया परिणामस्वरूप म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 18(4) और धारा 21(2) के अंतर्गत ₹ 25.18 लाख के ब्याज और शास्ति सहित ₹ 54.75 का कम करारोपण रहा (परिषिष्ट-XII)।

उदाहरण स्वरूप दो प्रकरण तालिका 2.8 में नीचे दिए गए हैं :

तालिका 2.8

क्र.	लेखापरीक्षित इकाई	कर निर्धारण अवधि/लेखा परीक्षा का माह	हमारी आपत्तियां	विभाग का उत्तर
1.	वा.क.अ.कटनी	2010-11/ जून 2014	कर निर्धारण अधिकारी ने पुराने वाहन की बिक्री, मशीनरी पार्ट्स अर्थ मूविंग मशीन की बिक्री ₹ 1.20 करोड़ को बिक्री मूल्य में शामिल नहीं किया जबकि यह व्यवसायी	कर निर्धारण अधिकारी ने बताया (जून 2014) कि सत्यापन पश्चात

³³वृत्त कार्यालय(20) : इंदौर,जबलपुर,कटनी 1, मंदसौर (2), सतना, शहडोल (2), शाजापुर

			के अंकेक्षित खाते में दिया गया है। परिणामस्वरूप कम कर निर्धारण के कारण ₹ 5.08 लाख का करारोपण नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 2.03 लाख का ब्याज भी देय होगा।	कार्यवाही की जाएगी।
2.	वा.क.अ. वृत्त-4 जबलपुर	2010-11/ जनवरी 2015	कर निर्धारण अधिकारी ने कर योग्य राशि ₹ 31.71 करोड़ का गलत निर्धारण किया जबकि कर निर्धारण में व्यवसायी ने वास्तविक आवर्त ₹ 37.71 करोड़ दिखाया था कर योग्य राशि का कम निर्धारण करने के कारण ₹ 62,801 का कम करारोपण हुआ	कर निर्धारण अधिकारी ने (जनवरी 2015) में बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही जाएगी।

इसे इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण अधिकारी ने (जून 2013 और फरवरी 2015 के मध्य) बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।

प्रकरण की जानकारी आयुक्त वाणिज्यिक कर और शासन (मई 2015) को दी गयी। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2015)।

2.5 गलत दर से कर का आरोपण

कर निर्धारण अधिकारी ने विभिन्न वस्तुओं पर गलत दर से कर के आरोपण से आवर्त राशि ₹ 18.40 करोड़ पर करारोपण किया। परिणामस्वरूप, शास्ति की राशि ₹ 51.03 लाख सहित ₹ 1.38 करोड़ का कम करारोपण हुआ।

हमने अप्रैल 2013 से मार्च 2015 के मध्य एक संभागीय कार्यालय (उज्जैन) चार क्षेत्रीय कार्यालय³⁴ और आठ वृत्त कार्यालयों³⁵ में 9,178 कर निर्धारण प्रकरणों में से 8,929 प्रकरणों की नमूना जांच की और पाया कि 16 व्यवसायों के 18 प्रकरणों में जो कि 2007-08 से 2012-13 के मध्य अवधि जुलाई 2010 से मार्च 2014 में कर निर्धारण किए गए थे, कर निर्धारण अधिकारी ने वस्तु का गलत वर्गीकरण करते हुए आवर्त राशि ₹ 18.40 करोड़ पर कर की कम दर लगायी।

यह म.प्र. वैट अधिनियम की धारा-9 के अंतर्गत प्रावधानों और इसमें जारी अधिसूचनाओं का उल्लंघन थाजिसके अनुसार वस्तु के वर्गीकरण के आधार पर अनुसूची -II के अनुसार वस्तु पर कर लगाया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 51.03 लाख के शास्ति जो म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 21(2) के अंतर्गत कर का कम कर निर्धारण व्यवसायी पर होगा सहित ₹ 1.37 करोड़ का कम करारोपण हुआ (परिषिष्ट -XIII)।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर 10 व्यवसायों के 12 प्रकरणों में, कर निर्धारण अधिकारी ने सत्यापन/परीक्षण उपरांत कार्यवाही पर सहमति जतायी। एक व्यवसायी के एक प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

शेष बचे छः व्यवसायों के छः प्रकरणों में विभागीय उत्तर और हमारे कथन तालिका 2.9 में दिखाए गए हैं।

³⁴ ग्वालियर 2, इंदौर 1, नीमच और सागर

³⁵ भोपाल, देवास, हरदा, कटनी, खण्डवा, पीथमपुर, सीहोर और उज्जैन

तालिका 2.9

क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/ व्यवसायों की संख्या	प्रभावित राशि (लाख ₹ में)	लगायी जाने वाली/ लगायी गयी कर की दर	वस्तु	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	विभाग का उत्तर	हमारी टिप्पणी
1	वा.क.अ. वृत्त-II, उज्जैन I	1.01	13/5	पेपर दोना	पेपर दोना की बिक्री पर कर की दर 13 प्रतिशत की बजाय 5 प्रतिशत से लगायी गयी	पेपर कप अंग्रेजी का शब्द है जिसे हिन्दी में सामान्यतः दोना कहा जाता है।	वस्तु बाउल (दोना) कप एवं कांच से भिन्न है। बाउल II/II/29 में 1.4.11 से रखा गया है। अतः यह 2010-11 में II/IV/1 अनुसार कर योग्य है।
2	वा.क.अ. वृत्त-II, भोपाल I	2.29	12.5/4	डीजल ऑयल इंजन	डीजल ऑयल इंजन की बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की दर के बजाय 4 प्रतिशत से कर लगाया गया	व्यवसायों ने पंप की खरीद और बिक्री की है, इंजन की नहीं	फार्म-49 से साबित होता है कि व्यवसायी ने राज्य के बाहर से डीजल इंजन खरीदे थे।
3	स.आ.वा.क. नीमच 2	22.19	13/5	फेल्ड एण्ड फेल्ड कम्पोनेन्ट	फेल्ड एण्ड फेल्ड कम्पोनेन्ट की बिक्री पर 13 प्रतिशत की बजाय 5 प्रतिशत की दर से कर लगाया गया	अपीलीय अधिकारी के आदेश होने से कर निर्धारण अधिकारी कर निर्धारण के लिए उपयुक्त नहीं है और सी. एस.टी. प्रकरण में कपड़ा समझकर वूल फेल्ड पर कर लगाया गया	आयुक्त वा.क. में सीलवेल प्रकरण के आदेश के सम्बन्ध में 13 प्रतिशत से कर लगाया गया है। हमें उत्तर मान्य नहीं है।
4	वा.क.अ.-II कटनी I	5.20	13/5	इन्वर्टर / घरेलू यू.पी. एस.	इन्वर्टर/ घरेलू यू.पी. एस. की बिक्री पर 13 प्रतिशत की बजाय 5 प्रतिशत से कर लगाया गया	कर निर्धारण अधिकारी ने पंजाब वैट के सम्बन्ध में न्यायिक उद्घोषणा का हवाला देते हुए बताया कि व्यवसायी यू.पी.एस. और बाहरी बैटरी का व्यवसाय करता है।	एम.पी.वैट एक्ट 2002 अनुसूची की प्रविष्टि में कम्प्यूटर और पार्ट्स सूचना टेक्नोलॉजी के पार्ट्स है। पंजाब वैट एक्ट में सूचना टेक्नोलॉजी उत्पादकों की कोई शर्त नहीं है। निर्णय में इस पर चर्चा की जा चुकी

						यू.पी.एस. पर वैट एक्ट की प्रवृष्टि नं. 51(8) के अन्तर्गत 5 प्रतिशत से कर देय है।	है। निर्णय के अनुसार भी बेचे गये गुड्स पर 13 प्रतिशत से कर देय है।
5	वा.क.अ.॥, कटनी-१	8.08	13/5	मशीनरी पार्ट्स मोटर पार्ट्स मोटर पार्ट्स	दर मशीनरी पार्ट्स, मोटर पार्ट्स की बिक्री पर 13 प्रतिशत की बजाय 5 प्रतिशत से कर लगाया जाता है।	कृषि यंत्रों पर 5 प्रतिशत की दर से कर तथा मशीनरी पार्ट्स पर 13 प्रतिशत की दर से कर लगाया गया	मोटर पार्ट्स मशीनरी पर 13 प्रतिशत की दर से कर लगाने के लिए आपत्ति ली गयी है और कृषि यंत्र की बिक्री पर नहीं ली गयी है। मशीनरी/मोटर पार्ट्स पर 13 प्रतिशत से कर देय है।

हमारे द्वारा आयुक्त वाणिज्यिक कर और शासन को प्रकरण की सूचना दी गयी (मई 2015)। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।(नवम्बर 2015)

2.6 त्रुटिपूर्ण कर मुक्त विक्रय मानते हुए करारोपण न करना।

कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण करते समय ₹ 3.84 करोड़ की राशि के वस्तु जैसे ऑटो एल.पी.जी., ड्रिप लाइन, पेस्टीसाइड्स आदि के विक्रय को त्रुटिपूर्ण ढंग से कर मुक्त मानते हुए कर का निर्धारण किया। परिणामस्वरूप ₹ 1.41 करोड़ का कम करारोपण हुआ।

हमने मार्च 2014 से फरवरी 2015 के मध्य पांच वृत्त कार्यालयों³⁶ के 4,312 में से 4,173 कर प्रकरणों की नमूना जांच की और पाया कि 2010-11 से 2012-13 की अवधि के पांच व्यवसायों के पांच प्रकरण जिनका कर निर्धारण फरवरी 2013 से मार्च 2014 के मध्य किया गया में व्यवसायी द्वारा कर योग्य वस्तु जैसे ऑटो एल.पी.जी., ड्रिप लाइन, पेस्टीसाइड्स आदि की राशि ₹ 3.84 करोड़ का विक्रय किया जबकि मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की अनुसूची-॥ और इसके अंतर्गत जारी किये गये अधिसूचनाओं के अनुसार यह वस्तु कर योग्य है।

कर निर्धारण अधिकारी ने इन प्रकरणों का कर निर्धारण करते समय इन्हे गलत रूप से कर मुक्त मानते हुए करारोपण नहीं किया। परिणामस्वरूप राशि ₹ 37.18 लाख का कम करारोपण हुआ। इसके अतिरिक्त धारा 21(2) के अंतर्गत जहां कर निर्धारण करने में चुक का दायित्व व्यवसायी पर हो, ₹ 1.04 करोड़ की शास्ति भी आरोपणीय है। (परिषिष्ट -XIV)।

हमारे द्वारा अप्रैल 2014 और फरवरी 2015 के मध्य इंगित किए गए प्रकरणों में से तीन प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की

³⁶

धार, इंदौर (2), जबलपुर, नीमच

जाएगी। अन्य दो प्रकरणों में विभाग के उत्तर और हमारी टीप तालिका 2.10 में दिखाए गए हैं।

तालिका 2.10

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	वस्तु	टर्नओवर (लाख ₹ में)	लागू कर की दर (प्रतिशत में)	करारोपण न किया जाना (लाख ₹ में)
1.	कीटनाशक	51.17	5	2.60
	यह बताये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने बताया (मार्च 2014) कि जैव खाद और जैव कीटनाशक (डंग उत्पादित) अनुसूची-I की प्रविष्टि 26 में कर मुक्त है। उत्तर मान्य नहीं है अनुसूची-I में केवल जैव खाद में कर मुक्त है, जैव कीटनाशक के लिए कोई प्रविष्टि नहीं है इसलिए दूसरे कीटनाशकों के समक्ष रखते हुए ये कीटनाशक भी अधिनियम की प्रविष्टि II/II/24 के तहत कर योग्य है।			
2.	पाइप्स और मोटर्स	57.77	5	2.89 8.67 (शास्ति)
	यह बताये जाने पर, कर निर्धारण अधिकारी ने बताया (जनवरी 2015) कि स्प्रिंकलर (ड्रिप सिंचाई यंत्र) अधिनियम की प्रविष्टि I/72 के अंतर्गत कर मुक्त है। पाइप और मोटर के सम्बन्ध में उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है चूंकि 2011-12 में यह I/72 की प्रविष्टि में शामिल नहीं है अपितु प्रविष्टि II/II/64 के अंतर्गत कर योग्य है।			

हमने प्रकरण को आयुक्त वाणिज्यिक कर एवं शासन को अवगत कराया (मई 2015) लेकिन उनके उत्तर नहीं प्राप्त हुए (नवम्बर 2015)।

2.7 अमान्य आगत कर छूट की स्वीकृति।

कर निर्धारण अधिकारी ने ₹ 71.67 लाख की आगत कर छूट (आई.टी.आर.) स्वीकृत की जो कि सम्बन्धित प्रावधानों और नियमों के अनुसार नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ ब्याज एवं शास्ति सहित ₹ 1.90 करोड़ की कम प्राप्ति हुई।

अक्टूबर 2013 और फरवरी 2015 के मध्य तीन क्षेत्रीय कार्यालयों (छिन्दवाड़ा, इंदौर-II और नीमच) और नौ वृत्त कार्यालयों³⁷ के 8,907 कर निर्धारण प्रकरणों में से 8,547 प्रकरणों की नमूना लेखापरीक्षा की ओर पाया कि अवधि 2009-10 से 2012-13 के जून 2012 और फरवरी 2014 के मध्य कर निर्धारण किए गए 17 व्यवसायों के 17 प्रकरणों में व्यवसायी अंकेक्षित खातों में प्रमाणित क्रय राशि अनुसार ₹ 4.41 करोड़ की आगत कर छूट प्राप्त करने की पात्रता रखते थे।

व्यवसायों ने आई.टी.आर. ₹ 5.13 करोड़ का गलत दावा किया और कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया। यह म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 14(1) सहपठित नियम 9 का उल्लंघन था जिसके अनुसार व्यवसायों को आई.टी.आर. की छूट उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी विवरणियों को प्रमाणित करके तथा अंकेक्षित खातों से क्रय को प्रमाणित करने के बाद ही स्वीकृत की जानी चाहिए। परिणामस्वरूप, ₹ 71.67 लाख की आई.टी.आर. अधिक स्वीकृत की गयी। इसके अतिरिक्त म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 18(4) और 21(2) के अंतर्गत ₹ 1.18 करोड़ के ब्याज और शास्ति की राशि भी आरोपणीय है (परिषिष्ट -XV में विस्तृत विवरण दिया गया है)।

अक्टूबर 2013 और फरवरी 2015 के मध्य 14 प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी और शेष तीन प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी के उत्तर और हमारे प्रत्युत्तर नीचे तालिका 2.11 में दिखाए गए हैं।

³⁷ अशोकनगर, ग्वालियर, हरदा, इंदौर (2), सागर सतना शहडोल और उज्जैन

तालिका 2.11

क्र.	लेखा परीक्षिती इकाई/ व्यवसायों की संख्या	कर निर्धारण की अवधि/ माह	हमारी संक्षिप्त आपत्तियां	विभागीय उत्तर/ हमारे प्रत्युत्तर
1.	स.आ.-I, वृत्त-III, ग्वालियर 01	2009-10 जून 2012	अंकेक्षित खातों के अनुसार ₹ 9.23 करोड़ के साबुन की खरीद पर आई.टी.आर. स्वीकृत योग्य था जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने ₹9.64 करोड़ के क्रय पर आई.टी.आर. स्वीकृत किया। परिणामस्वरूप ₹ 5.09 लाख का अमान्य आई.टी.आर. स्वीकृत किया।	कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि क्रय सूची और बिल प्रस्तुत करने के आधार पर आई.टी.आर. स्वीकृत किया गया। जवाब मान्य नहीं है चूंकि आपत्ति अंकेक्षित खाते में प्रमाणित क्रय के आधार पर ली गयी है।
2.	सहा.आयु.डिवी.-II इंदौर 01	2010-11 अप्रैल 2013	व्यवसायी ने कुल टर्न ओवर ₹ 4.60 करोड़ का 76.92 प्रतिशत ₹ 3.54 करोड़ का राज्य के बाहर स्टॉक स्थानांतरण किया। कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण करते समय, व्यवसायी के कर निर्धारण के प्रस्ताव में सहमति दिखाते हुए स्टॉक स्थानांतरण पर आई.टी.आर. का रिवर्सल नहीं किया।	कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि स्टॉक स्थानांतरण आयातित माल (दूसरे राज्य से मंगाने) क्रय पर आर.टी.आर. का रिवर्सल नहीं किया जाता है। जवाब इस सत्य के अनुरूप नहीं है कि (आयातित माल) क्रय करने के स्थान पर बेचा गया जिससे घटाया (घटाने का लाभ मिला) जिसका प्रभाव कर निर्धारण आदेश दिनांक 15 अप्रैल 2013 के बिन्दु क्रमांक-1 में स्पष्ट किया।
3.	वा.क.अ.-I सतना 01	2010-11 जुलाई 2013	कर निर्धारण अधिकारी ने अंतर्राज्यीय क्रय पर ₹ 77,072 का गलत आई.टी.आर. स्वीकृत किया।	कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि क्रय सूची से अंतर्राज्यीय क्रय को अलग करने के बाद आई.टी.आर. स्वीकृत किया गया। उत्तर मान्य नहीं है। क्रय पर गलत आई.टी.आर. स्वीकृत किया गया यह स्टील अर्थांरिटी ऑफ इण्डिया, नागपुर (बिल नं.381 और 384 दिनांक 31 मई 2010 से किये गये क्रय से स्पष्ट है।

हमने प्रकरण को आयुक्त वाणिज्यिक कर और शासन को जानकारी दी (मई-2015) उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर-2015)।

2.8 प्रवेश कर का अनारोपण / कम आरोपण

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मिल्क पाउडर, प्लास्टिक पैकिंग सामग्री, टायर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मोबाइल, विस्फोटक, बिटुमिन, फर्नेस ऑयल, हेक्सेन एच.डी.पी.ई. / पी.पी.वोवन बैग, आयरन एण्ड स्टील, कोल, ऑयल सीड, डीजल, कीटनाशक आदि के सकल टर्न ओवर ₹ 1,138.98 करोड़ पर या तो प्रवेश कर का आरोपण नहीं हुआ अथवा गलत दर से हुआ। परिणामस्वरूप, ₹ 17.85 करोड़ के ब्याज और शास्ति सहित राशि ₹ 31.25 करोड़ के प्रवेश कर की कम वसूली/वसूली नहीं हुई।

हमने अप्रैल 2013 और जून 2015 के मध्य आठ संभागीय कार्यालय³⁸, छः क्षेत्रीय कार्यालय³⁹ और 28 वृत्त कार्यालयों⁴⁰ के कर निर्धारण प्रकरण आदेशों, अंकेक्षित खाते, क्रय सूची आदि की नमूना जांच के दौरान पाया कि 2006-07 से 2012-13 की

³⁸ भोपाल डिवीजन-I, भोपाल डिवीजन-II, भोपाल-टी.ए.डब्ल्यू., इंदौर डिवी.-I, इंदौर टी.ए.डब्ल्यू.-I, जबलपुर डिवी.-II., रतलाम और सतना

³⁹ भोपाल डिवीजन-I, भोपाल डिवीजन-II, ग्वालियर-डिवीजन-II, इंदौर डिवीजन-I, कटनी और सागर-II

⁴⁰ भोपाल(5), बुरहानपुर, देवास, धार, ग्वालियर-(2), इंदौर-(8), कटनी मण्डिदीप नरसिंहपुर रतलाम शहडोल सतना-(2), उज्जैन-(2), और बैठन।

अवधि के मई 2009 से मार्च 2015 कर निर्धारित/पुनः कर निर्धारित के मध्य 118 व्यवसाइयों के 124 प्रकरणों में मिल्क पाउडर, प्लास्टिक पैकिंग मैटीरियल, टायर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मोबाइल, विस्फोटक बिटुमिन, फर्नेस ऑयल, हेक्सेन, एच.डी.पी.ई. /पी.पी.बोवेन बैग, आयरन एण्ड स्टील कोल, ऑयल सीड डीजल कीटनाशक आदि पर, ₹ 1,138.98 करोड़ की राशि पर प्रवेश कर का या तो आरोपण नहीं हुआ या गलत दर से हुआ।

यह मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 और इसके तहत जारी नियम और अधिनियमों के प्रतिकूल था। इसके परिणामस्वरूप, अधिनियम की धारा 18(4)(ए) और धारा 21(2) के अंतर्गत ब्याज और शास्ति राशि ₹ 17.85 करोड़ सहित ₹ 31.25 करोड़ के प्रवेश कर की कम/अवसूली रही। विभाग के उत्तर और हमारे प्रत्युत्तर सहित विवरण परिशिष्ट—XVI में दिया गया है।

हमने प्रकरण को आयुक्त वाणिज्यिक कर और शासन को सूचित किया (मई 2015) उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2015)।

2.9 अमान्य छूट की स्वीकृति

कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवसाइयों को प्रमाण-पत्रों से प्राप्त छूट के अतिरिक्त अन्य क्रय पर प्रवेश कर के भुगतान से छूट दी और इसके साथ ही गुड्स के क्रय पर छूट की सीमा से अधिक छूट दी जिसके परिणामस्वरूप, शास्ति ₹ 19.43 करोड़ सहित प्रवेश कर ₹ 25.91 करोड़ की छूट अनियमित रही।

हमने अक्टूबर 2014 और जून 2015 अवधि में देखा कि तीन संभागीय कार्यालयों (भोपाल-II, इंदौर और रतलाम) और तीन वृत्त कार्यालयों (इंदौर-X, XI और सेंधवा) में 2010-11 से 2012-13 की अवधि के अप्रैल 2013 और मार्च 2015 में कर निर्धारण किये गये 12 व्यवसाइयों के 15 प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवसाइयों को प्रमाणपत्रों से प्राप्त छूट के अतिरिक्त अन्य क्रय करने पर प्रवेश कर के भुगतान से छूट दी और इसके साथ वस्तु के क्रय पर छूट की सीमा से अधिक छूट की स्वीकृति दी।

यह अधिनियम की धारा 10 का उल्लंघन था, जिसके अनुसार सरकार अधिसूचना⁴¹ द्वारा और कुछ प्रतिबन्धों और शर्तों के साथ जैसी कि उसमें दी गयी हो, किसी निश्चित अवधि के लिए व्यवसायी द्वारा सभी शर्तों को पूरा करने पर जैसी अधिसूचना में दी गयी हो, प्रवेश कर के भुगतान से छूट दे सकती है। इसके परिणामस्वरूप, जुर्माने ₹ 19.43 करोड़ सहित ₹ 25.91 करोड़ के प्रवेश कर की छूट अनियमित रही। विभाग के उत्तर और हमारे प्रत्युत्तर सहित विस्तृत विवरण परिशिष्ट—XVII में दिखाए गए हैं।

हमने प्रकरण को आयुक्त वाणिज्यिक कर और शासन (जुलाई 2015) को बताया, उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2015)।

⁴¹ ज्ञापन क्र.ए-3-68-2004-1-V(21) दिनांक 04.04.2005